# VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

*वर्ष 2020-21 में वित्तीय प्रणाली की आघातसहनीयता और स्थायित्व को निरंतर बनाए रखते हुए वित्तीय स्थिरता को संरक्षित रखने की चिंता केंद्रीय विषय बनी रही, हालांकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न संविभागों में व्याप्त दबाव को कम करने को भी महत्व दिया गया, क्योंकि यह पूरा वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न त्रासदी का शिकार रहा। इसे देखते हुए ही, इस महामारी के प्रकोप से उत्पन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रियास्वरूप जहाँ अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपाय किए गए, वहीं दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सभी विनियमित / पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए मौजूद विनियामक/ पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को फिर से सुव्यवस्थित और मजबूत किया गया ताकि उसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाए रखा जा सके। साथ ही, ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग, धोखाधड़ी-पहचान में वृद्धि और उपभोक्ता संरक्षण जैसे समवर्ती उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में भी प्रगति की गयी। पर्यवेक्षण, विनियमन, वित्तीय स्थिरता और प्रवर्तन के कार्यों से जुड़े कार्मिकों के क्षमता-निर्माण को प्राथमिकता दी गयी।*

VI.1 इस अध्याय में वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इस वर्ष के दौरान किए गए विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गयी है। विनियामक/ पर्यवेक्षी ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाए रखने के समग्र उद्देश्य के एक भाग के तौर पर बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन, साइबर सुरक्षा और अनुपालन से जुड़े कार्य-क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गयी। भारत में सुदृढ़ प्रतिभूतिकरण और द्वितीयक ऋण बाजार विकसित करने की दिशा में कदम उठाए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को चलनिधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराए गए। बैंकों द्वारा सांविधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने और पर्यवेक्षी प्रकटन की प्रक्रिया को अधिकाधिक स्वचालित बनते देखा गया।

VI.2 अन्य क्षेत्रों की बात करें तो, 9 अगस्त 2019 से आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन का कार्य राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से लेकर रिज़र्व बैंक को दे दिए जाने के बाद, सभी हितधारकों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया से गुजरते हुए एचएफसी के विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा की गयी और अक्टूबर 2020 में एक संशोधित विनियमन फ्रेमवर्क लागू किया गया। इसी के एक भाग के तौर पर आवास वित्त कारोबार को पहली बार परिभाषित किया गया और प्रमुख व्यावसायिक मानदंड निर्धारित किए गए जिनमें समय-सीमा का उल्लेख भी है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-एचएफसी (एनबीएफसी-एचएफसी) के रूप में कारोबार हेतु पात्र संस्थाओं को इसे चरणबद्ध रूप में लागू करना है और जो संस्थाएं ऐसा करने में विफल रहती हैं, उन्हें एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) माना जाएगा। निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) को बढ़ाने और चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (एलआरएम) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। इन दिशानिर्देशों में लोन-टु-वैल्यू (एलटीवी) अपेक्षाएं और पुरोबंध (फोरक्लोज़र) प्रभार भी शामिल हैं। इन परिवर्तनों को लागू करके एचएफसी के लिए बने विनियमों का सामंजस्य, कुछ सीमा तक, अन्य एनबीएफसी के लिए मौजूद विनियमों के साथ स्थापित करने का प्रयास किया गया। संशोधित ढांचा लागू करते हुए, आवास वित्त के सुव्यवस्थित विकास की आधारशिला रख दी गयी है जिससे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, ख़ास तौर पर इस तथ्य के मद्देनज़र कि आवासन से जुड़े निर्माण और आवासन बाजारों का आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उनका विधिवत विनियमन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह देखा गया है कि इस क्षेत्र के कारण शेष अर्थव्यवस्था में कभी तीव्र उछाल तो कभी भारी गिरावट आयी है।

VI.3 श्री तपन रे की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने पहले ही अगस्त 2020 में कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए बने दिशानिर्देशों की समीक्षा की थी। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, समायोजित

निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) की गणना करते समय, किसी सीआईसी द्वारा किसी अन्य सीआईसी में किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी योगदान, जो निवेशक सीआईसी की स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक हो, को घटाया जाना है। सीआईसी की जटिल संरचनाओं के कारण मौजूद अस्पष्टता का लाभ लेते हुए इनके द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण का उल्लंघन किए जाने संबंधी पहले के अनुभवों के मद्देनज़र, रिज़र्व बैंक ने इन समूहों की जटिल संरचना और एक ही समूह में कई सीआईसी की मौजूदगी से जुड़े मुद्दों का हल तलाशने के लिए किसी भी समूह में सीआईसी की संख्या को अधिकतम 2 (मूल सीआईसी सहित) तक सीमित कर दिया है, चाहे किसी सीआईसी की किसी अन्य सीआईसी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होल्डिंग / नियंत्रण कितना भी हो। कई अन्य विनियामक दिशानिर्देश भी जारी किए गए, खास तौर पर कॉरपोरेट गवर्नेंस और प्रकटन संबंधी।

VI.4 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी के लिए बने पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपायों का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑफ-साइट पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत किया है ताकि जोखिमों की शीघ्र पहचान की जा सके। इस कार्य में सहायता हेतु एक क्रमिक पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा तैयार किया गया है ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही पर्यवेक्षी कार्रवाई संभव हो सके जो कि वित्तीय असुरक्षा को बढ़ने न देने और उसे अत्यधिक विकट हो जाने से रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अब और अधिक प्रगतिशील, मूल कारण उन्मुख बनाया गया है और इसके तहत किए जाने वाले पर्यवेक्षी मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तत्वों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञता में वृद्धि करने और सूचना की असममिति के मुद्दे को हल करने की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण पहलें की गयीं, यथा ए) विभिन्न पर्यवेक्षित इकाइयों (एसई) के लिए निर्धारित अलग-अलग पर्यवेक्षी कार्यों का एकीकरण; बी) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार का जोखिम आकलन करते हुए पर्यवेक्षण को विशेषीकृत और अधिक असरदार बनाना; और सी) क्षमता विकास को समर्पित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की स्थापना। जहाँ एक ओर पर्यवेक्षी कार्य को मजबूत करने के प्रयासों को जारी रखा गया है, वहीं पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) को उपयोग में लाने की दिशा में भी कार्रवाई जारी है।

VI.5 सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में संशोधन से न केवल सहकारी बैंकों के ऊपर रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियाँ बढ़ी हैं, बल्कि इससे यूसीबी के अभिशासन और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस वर्ष के दौरान अन्य प्रमुख घटनाक्रमों में यूसीबी के प्रति एक नपा-तुला पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाना शामिल था।

VI.6 इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) के अधिकार क्षेत्र और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 में विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा किए गए विभिन्न विनियामक उपायों का उल्लेख किया गया है। खंड 4 में इस वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) द्वारा किए गए कई पर्यवेक्षी उपायों तथा प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) द्वारा प्रवर्तन के संबंध में किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। खंड 5 उपभोक्ता हितों की रक्षा करने, जागरूकता फैलाने और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) और निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निभायी गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। इन विभागों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में 2021-22 के लिए कार्ययोजना भी तैयार की है। अंतिम खंड में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

## 2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.7 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का दायित्व है कि वह वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के सम्मुख आने वाले जोखिमों का परीक्षा करते हुए, प्रणालीगत दबाव परीक्षणों के माध्यम से व्यापक-विवेकपूर्ण निगरानी करते हुए, वित्तीय नेटवर्कों का विश्लेषण करके और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से आरंभिक चेतावनी का व्यापक प्रसार करते हुए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता की निगरानी करे। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है, जो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और

व्यापक-विवेकपूर्ण विनियमन की निगरानी के लिए बनाया गया विनियामकों का एक संस्थागत तंत्र है।

**2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति**

***2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.8 विभाग ने 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- विकसित होती श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाते हुए दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क / कार्यप्रणाली को सशक्त बनाना (*उत्कर्ष*) [पैरा VI.9];
- अद्यतन विश्लेषण करते हुए एफएसआर का प्रकाशन समय पर करना (पैरा VI.10);
- व्यापक-विवेकपूर्ण निगरानी करना (पैरा VI.11); तथा
- एफएसडीसी की उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) की बैठकें आयोजित करना [पैरा VI.12-VI.13]।

***लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति***

VI.9 दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क को सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की समीक्षा की गई। समष्टिगत-दबाव वाले माहौल में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के संभावित माध्यमों की पहचान की गयी।

VI.10 एफएसआर का दिसंबर 2020 अंक 11 जनवरी 2021 को प्रकाशित किया गया जिसकी प्रकाशन की तारीख राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों को शामिल करने के उद्देश्य से बदलनी पड़ी थी। इस एफएसआर में वित्तीय स्थिरता के इर्द-गिर्द मौजूद जोखिमों के संतुलन पर एफएसडीसी-एससी के सामूहिक आकलन को दर्शाया गया था। वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाने, जोखिम-प्रसार और इसके व्यापक वित्तीय निहितार्थ, वित्तीय बाजारों और वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों के बीच मौजूद असंबद्धता, तुलन-पत्रों पर बने दबाव में आयी थोड़ी कमी और बैंक क्रेडिट में अभी भी जारी मंदी के बीच बैंकों की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता जैसे मुद्दों पर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और राजकोषीय प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे सक्रिय हस्तक्षेप को एफएसआर में रेखांकित किया गया है।

VI.11 व्यापक दबाव-परीक्षणों में इस बात की ओर इशारा किया गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी बफर में गिरावट आयी। विभाग के नियमित व्यापक दबाव-परीक्षण फ्रेमवर्क को संवर्धित किया गया ताकि वह विनियामकीय सहिष्णुता दर्शाने की कवायद में बैंकों के विभिन्न संविभागों की वास्तविक स्थिति को पकड़ सके।

VI.12 एफएसडीसी-एससी ने 31 अगस्त 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वैश्विक और घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों की और वित्तीय बाजारों की उन प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं; और अंतर-विनियामकीय समन्वय से संबंधित विचार-विमर्श तथा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की पहलों और गतिविधियों की समीक्षा भी की। इस उप-समिति ने 13 जनवरी 2021 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत शोधन अक्षमता के समाधान की दिशा में सुधार की संभावनाओं, सेंट्रल नो योर कस्टमर (केवाईसी) रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में उपलब्ध डेटा के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र (आईएफएससी) में स्थापित दूसरी कई निधियों के साथ-साथ वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) से संबंधित विनियामकीय ढांचे में परिवर्तनों पर चर्चा की। इन बैठकों में, उप-समिति ने अपने दायरे में आने वाले विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की समीक्षा की। विनियामकों ने इस असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों और उपायों में समन्वय जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

*कोविड-19 महामारी का प्रभाव*

VI.13 एफएसयू का मुख्य कार्य है समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी और एफएसडीसी-एससी के कामकाज का सुचारु रूप से संचालन। लॉकडाउन लगाए जाने और विभिन्न डेटाबेसों, सूचना प्रणालियों और सॉफ्टवेयरों तक पहुंच से जुड़ी चुनौतियों को दूरस्थ पहुंच और वर्चुअल इंटरैक्शन के माध्यम से दूर किया गया, जिसमें एफएसडीसी-एससी की बैठकों का आयोजन भी शामिल था।

***2021-22 के लिए कार्य-योजना***

VI.14 आगामी वर्ष में, एफएसयू निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी:

- विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क/ पद्धति को सशक्त बनाना (*उत्कर्ष*);
- समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी करना;
- एफएसआर को समय पर और अद्यतन आधार पर प्रकाशित करना; तथा
- एफएसडीसी-एससी की बैठकों का आयोजन करना।

**3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन**

**विनियमन विभाग (डीओआर)**

**वाणिज्यिक बैंक**

VI.15 किफायती लागत पर समावेशी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के लिए विनियमन विभाग (डीओआर) नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इस विनियामकीय फ्रेमवर्क को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सके।

**2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति**

***2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.16 विभाग ने 2020-21 में वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन हेतु उत्कर्ष के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बासेल III मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के विनियमों का सामंजस्य: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) पर अंतिम दिशानिर्देशों के साथ-साथ, क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश बासेल III मानकों के अनुरूप जारी किए जाएंगे; परिचालन जोखिम के संबंध में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश भी बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) के तहत जारी किए जाएंगे । हालांकि, बैंक और पर्यवेक्षक कोविड-19 महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के लिए मुक्त होकर अपेक्षित कदम उठा सकें, इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बासेल III मानकों के कार्यान्वयन को एक वर्ष यानी 1 जनवरी 2023 तक के लिए टाल दिया है (पैरा VI.17-18)।

***लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*बासेल III मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के विनियमों का सामंजस्य*

VI.17 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में तत्काल प्राथमिकता वाले मुद्दों पर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए बैंकों को अतिरिक्त परिचालन क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त बासेल समिति के निगरानीकर्ता निकाय - केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह (जीएचओएस) – कुछ उपायों की अनुमति दी है। जीएसओएच द्वारा दी गयी इस प्रकार की एक अनुमति पहले ही प्रदान की गयी जब 27 मार्च 2020 को उन्होंने घोषणा की कि बासेल III मानकों के कार्यान्वयन की समय-सीमा को 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

VI.18 क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम पर बासेल III दिशानिर्देशों का मसौदा और साथ ही, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम पर अंतिम दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करने की निर्धारित तिथि को सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

***प्रमुख गतिविधियाँ***

*प्रतिभूतिकरण और ऋण जोखिम की बिक्री पर संशोधित दिशानिर्देश*

VI.19 प्रतिभूतिकरण पर बने फ्रेमवर्क के मसौदे की, जिसे सर्वसाधारण की टिप्पणियों के लिए 8 जून 2020 को जारी किया गया था, जांच की जा रही है और शीघ्र ही अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे । भारत में सरल, पारदर्शी और तुलनीय

(एसटीसी) प्रतिभूतिकरण संरचनाओं को प्रोत्साहित करते हुए एक सशक्त और सुदृढ़ प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास के उद्देश्य से इन संशोधित दिशानिर्देशों में विनियामकीय फ्रेमवर्क को प्रतिभूतिकरण पर 1 जनवरी 2018 से प्रभावी बासेल दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने का प्रयास किया गया है। इन संशोधनों में भारत में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर गठित समिति (अध्यक्ष: डॉ हर्षवर्धन) और कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर गठित कार्यबल (अध्यक्ष: श्री टी. एन. मनोहरन), जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2019 में गठित किया गया था, की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है।

VI.20 प्रतिभूतिकरण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के अलावा, यह भी निर्णय लिया गया था कि ऋण जोखिमों, मानक और दबावग्रस्त दोनों, की बिक्री के लिए बने दिशानिर्देशों, जो कि वर्तमान में अनेक परिपत्रों में बिखरे पड़े हैं, की व्यापक समीक्षा की जाए, और तदनुसार ऋण जोखिमों की बिक्री पर व्यापक फ्रेमवर्क का मसौदा 8 जून 2020 को जारी किया गया था। ऋण जोखिमों की बिक्री पर ये दिशानिर्देश अंतरित किए जा रहे ऋण जोखिमों के आस्ति वर्गीकरण के और/ अथवा ये ऋण जोखिम जिस संस्था को तथा जिस माध्यम से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, उसके अनुरूप बनाये गए हैं। यह समीक्षा इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि हाल के दिनों में भारत में एक सशक्त समाधान व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बनी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क जैसे महत्वपूर्ण कदमों के साथ उक्त दिशानिर्देशों का सामंजस्य बनाया जाना संभव था। इसके अलावा, उपर्युक्त टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, विकास और विनियामक नीतियों पर 5 दिसंबर 2019 को जारी वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक एक स्व-विनियामकीय निकाय – द्वितीयक ऋण बाजार संघ (एसएलएमए) - की स्थापना में सहयोग करेगा और बाद में जिसका पंजीकरण 26 अगस्त 2020 को किया गया। एसएलएमए वर्तमान में द्वितीयक ऋण बाजार के विकास के लिए किए जा रहे विविध उपायों की जांच कर रहा है जिनमें ऋण प्रलेखन और ऋण बिक्री प्लैटफॉर्म का मानकीकरण शामिल है।

*बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना*

VI.21 किसी उधारकर्ता के प्रति पूरी बैंकिंग प्रणाली के समग्र क्रेडिट जोखिम को देखते हुए बैंकों में क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) और संग्रहण/चालू खाते खोलने के तरीकों पर 6 अगस्त 2020 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि क्रेडिट अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है, ऐसे खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को 14 दिसंबर 2020 के परिपत्र द्वारा अनुमति दी गई है कि वे बिना किसी प्रतिबंध के गतिविधि-विशिष्ट खाते खोलें, यदि रिज़र्व बैंक सहित विभिन्न विनियामकों द्वारा जारी विभिन्न विधियों/अनुदेशों के तहत इसकी अनुमति दी गयी हो।

*विनियामकीय खुदरा संविभाग - जोखिम भार के लिए संशोधित सीमा*

VI.22 विनियामक खुदरा संविभाग, जिसमें व्यक्ति और छोटे व्यवसाय (अर्थात्, जिनका कुल कारोबार ₹50 करोड़ तक है) के लिए क्रेडिट की लागत कम करने हेतु, और साथ ही, बासेल दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, इस संविभाग में शामिल होने की आरंभिक जोखिम पात्रता सीमा को 12 अक्टूबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दिया गया था। इस प्रकार, 75 प्रतिशत का जोखिम भार सभी नए जोखिमों और उन मौजूदा जोखिमों पर भी लागू होगा जहां बैंकों द्वारा ₹7.5 करोड़ की संशोधित सीमा तक वृद्धिशील ऋण लिया जा सकता है। ऐसी आशा की जा रही है कि इस कदम से लघु व्यवसाय संविभाग के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी जो अति आवश्यक है।

*आरआरबी - चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)*

VI.23 चलनिधि प्रबंधन का एक और माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, 4 दिसंबर 2020 को अनुसूचित आरआरबी को भी, कुछ शर्तों के अधीन, एलएएफ और एमएसएफ के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया।

*डीबीएस बैंक इंडिया लिमि. में लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) लिमि. का समामेलन*

VI.24 'द लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) लिमिटेड' की वित्तीय स्थिति में लगातार बिगड़ने लगी थी क्योंकि वर्ष 2018 से इस बैंक को लगातार घाटा हो रहा था जिससे इसकी निवल मालियत कम होती गयी। किसी भी व्यवहार्य कार्यनीतिक योजना न होने, अग्रिमों में आती गिरावट, अनर्जक आस्तियों में होती तीव्र वृद्धि, पूंजी जुटाने अथवा कोई रणनीतिक निवेशक ला सकने में विफलता, चलनिधि का नियमित होता बहिर्वाह और अभिशासन से जुड़ी गंभीर समस्याओं को देखते हुए रिज़र्व बैंक के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह जनहित में और विशेष रूप से जमाकर्ताओं का हितों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करे। तदनुसार, 17 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने एलवीबी लिमिटेड पर 16 दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी और रिज़र्व बैंक ने निदेशक मंडल का अधिक्रमण करते हुए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। केंद्र सरकार ने समामेलन की उक्त योजना को अपनी मंजूरी दे दी और 25 नवंबर 2020 को 'लक्ष्मी विलास बैंक लिमि. (डीबीएस बैंक इंडिया लिमि. में समामेलन) योजना 2020' अधिसूचित की, जो 27 नवंबर 2020 से प्रभावी हो गयी।

*एससीबी द्वारा सांविधिक विवरणियाँ एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) लाइव साइट पर प्रस्तुत करना*

VI.25 सांविधिक विवरणियाँ भौतिक रूप से प्रस्तुत करने में की जाने वाली कड़ी मेहनत और इसका प्रबंध करने में आने वाली लागत से छुटकारा दिलाने के लिए तथा यह कार्य अधिक दक्षता के साथ करते हुए कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम करने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2020 के रिपोर्टिंग शुक्रवार से भौतिक रूप में फॉर्म ए (सीआरआर) और फॉर्म VIII (एसएलआर) जमा करने की प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। एससीबी को सूचित किया गया है कि ये विवरणियाँ दो अधिकृत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए एक्सबीआरएल लाइव साइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जाएँ।

*कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विनियामकीय कार्रवाई*

VI.26 महामारी के प्रकोप की प्रतिक्रिया में शुरू किए गए विनियामकीय उपायों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती रही है। इसके अलावा, अतिरिक्त उपाय भी किए गए हैं, अथवा इस तरह की समीक्षा के समय मौजूदा की स्थिति के आधार पर मौजूदा उपायों को अनुकूलित किया गया है। इन उपायों को मोटे तौर पर इस महामारी के दौरान अन्य देशों द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप बनाया गया था (बॉक्स VI.1)।

**बॉक्स VI.1**

**कोविड19- संबंधी विनियामकीय उपाय एक अंतर-देशीय परिदृश्य**

वर्ष 2020-21 के दौरान, विश्व के तमाम केंद्रीय बैंकों और सरकारों ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक और वित्तीय प्रभाव-विस्तार से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कई असाधारण उपाय किए हैं। महामारी की इस परिस्थिति में अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मदद करने के लिए विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय बैंक तत्काल हरकत में आये और अपने पास उपलब्ध संसाधनों में से सभी पारंपरिक और अपरंपरागत विकल्पों को उन्होंने यथाशीघ्र लागू किया। इनमें वैश्विक स्तर पर लागू किए गए सामान्य उपायों में नीतिगत दरों में कटौती तथा घरेलू एवं विदेशी मुद्रा चलनिधि संबंधी प्रावधान शामिल हैं। जहां तक बैंकिंग प्रणाली का संबंध है, कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले बैंकों के पास सामान्यतः अधिक पूँजी थी, जो वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफ़सी) से पूर्व उनके पास उपलब्ध पूँजी की तुलना में अधिक थी, जिससे विनियमक प्राधिकारियों को आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने, बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की क्षमता को बढ़ाने और बहाली में सहायता प्रदान करने संबंधी विभिन्न नीतियों को लागू करने हेतु बल मिला। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के एक समूह द्वारा वित्तीय स्थिरता प्राथमिकताओं पर तत्काल कार्य करने हेतु बैंक-पर्यवेक्षकों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने संबंधी बृहद उपायों का समर्थन किया गया। बासेल-III मानकों के कार्यान्वयन की तारीखों, संशोधित पिलर-3 संबंधी प्रकटीकरण आवश्यकताओं और संशोधित बाजार जोखिम ढांचे को लागू करने की तारीखों को एक वर्ष अर्थात 1 जनवरी 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने संभावित ऋण हानि (ईसीएल) को विनियामकीय पूंजी माने जाने संबंधी संक्रमणकालीन लेखांकन व्यवस्था में संशोधन किया है, ताकि देशों को विनियामकीय पूँजी पर संभावित ऋण हानि (ईसीएल) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने में अधिक स्वतंत्रता मिले। विवेकपूर्ण विनियमन के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों का सारांश नीचे दिया गया है:

***अधिस्थगन और आस्ति वर्गीकरण संबंधी उपाय:*** कई देशों (जैसे : अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, फ्रांस, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड

*(Contd.)*

किंगडम - यूके) ने महामारी के कारण मौजूदा दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्रचना पर निर्देश जारी किए और यह भी संकेत दिया कि ऐसे ऋण जिन्हें चुकौती संबंधी आस्थगन प्रदान किया गया है उन्हें पुरर्रचित ऋण मानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विनियामक प्राधिकारियों ने यह भी व्यवस्था दी है कि पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए स्वचालित ऋण पुनर्वर्गीकरण में इस प्रकार के अधिस्थगन की गणना 'डिफ़ॉल्ट (चूक)' श्रेणी में नहीं की जाएगी। भारत जैसे कुछ देशों में, आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से बकाया दिनों की संख्या में से भुगतान अधिस्थगन अवधि को बाहर रखा गया था।

***बासेल-III पूँजी और चलनिधि बफर:*** कई सरकारों (जैसे: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूरो क्षेत्र, जापान, हांगकांग, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सिंगापुर, यूके और अमेरिका) ने अपने वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित किया है अथवा इस बात की जोरदार सिफ़ारिश की है कि वे अपने यहाँ उधार देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु अपनी पूँजी और चलनिधि बफर का उपयोग करें। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा दबाव की अवधि में बैंकों के बासेल-III बफ़र्स का मापा गया ड्राडाउन पूर्वानुमान के अनुसार अपेक्षित एवं उपयुक्त है। कई देशों (जैसे: भारत, इंडोनेशिया, यूके, ब्राजील और स्वीडन) में चलनिधि बफर जैसे - चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) आदि अस्थायी रूप से सुलभ हो गए थे। कई देशों (जैसे: स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और यूके) ने प्रतिचक्रीय पूँजी बफर (सीसीवाईबी) को घटाने या उसे शून्य करने का निर्णय लिया। यूके ने स्पष्ट निर्देश दिये कि यह बफर कम से कम 12 महीनों तक उसी स्तर पर बना रहेगा। कुछ देशों (हांगकांग) ने प्रतिचक्रीय पूँजी बफर (सीसीवाईबी) में आंशिक कमी की कुछ अन्य देशों ने भिन्न प्रकार के पूँजी बफर जैसे प्रणालीगत महत्व वाले घरेलू बैंकों के लिए पूँजी बफर या पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को अस्थायी रूप से कम कर दिया। भारत में सीसीबी (0.625 प्रतिशत) की अंतिम भाग के क्रियान्वयन को टाल दिया गया था

***लीवरेज:*** कई सरकारों (जैसे: कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका) ने न्यूनतम लीवरेज अनुपात अपेक्षा के अनुरूप समानुपातिक पुनर्गणना के बिना केंद्रीय बैंक में उपलब्ध प्रारक्षित निधियों अथवा जमाराशियों को ऐसी गणना से बाहर रखने के लिए लीवरेज अनुपात नियम को अस्थायी रूप से संशोधित किया है। कुछ देशों ने आस्ति खरीद की बृहद योजनाओं को सुगम बनाने हेतु अस्थायी आधार पर सरकारी बॉन्ड धारिता को बैंकों के लीवरेज एक्सपोजर से बाहर रखा है।

***लाभांश अदायगी पर रोक:*** कई देशों (जैसे: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, स्विटजरलैंड, जर्मनी, यूरो क्षेत्र, भारत, मैक्सिको, रूस, स्वीडन, सिंगापुर, यूके और दक्षिण अफ्रीका) में कड़े विनियमन अथवा कठोर प्रशासनिक निर्णयों के जरिये लाभांश वितरण और शेयरों की वापसी-खरीद (बाई-बैक) पर रोक लगाते हुए बैंकों में पूँजी के स्तर को संरक्षित करने के उपाय किए गए। कुछ विवेकपूर्ण और विनियामक प्राधिकारियों ने इस बात की भी सिफारिश की है कि बैंकों को वर्ष 2020 के अंत तक लाभांश के भुगतान और शेयरों की वापसी-खरीद (बाई-बैक) को रद्द कर देना चाहिए, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वर्ष 2019 के बकाया लाभांश को भी रद्द कर देना चाहिए (प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, यूके)।

अंतर-देशीय उपायों का सारांश सारणी सं.1 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने विवेकपूर्ण नियमों और विनियमों से संबंधित प्रायः सभी उपाय लागू किए हैं; और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों के केंद्रीय बैंकों ने चलनिधि तथा उधार संबंधी उपाय लागू किए हैं। हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्था वाले केंद्रीय बैंकों ने आस्तियों की खरीद/ बिक्री तथा विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग अधिक किया है इन उपायों के अलावा, यूरोपीय संघ, यूके और भारत में, विनियामक प्राधिकारियों ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान विभिन्न विनियामक रिपोर्टें / वित्तीय विवरणियाँ, आदि विलंब से प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी है।

**सारणी 1: कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए उपाय**

| टूल का प्रकार | | विवेकपूर्ण नियम और विनियम | | | चलनिधि और उधार | | आस्ति खरीद/बिक्री | | | एफएक्स स्वैप |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपाय | | पूँजी अपेक्षाएँ | चलनिधि अपेक्षाएँ | अदायगी प्रतिबंध | चलनिधि उपाय | विशेषीकृत उधार | सरकारी बॉण्ड | वाणिज्यिक पत्र | कॉर्पोरेट बॉण्ड | यूएसडी स्वैप लाइन |
| विकसित अर्थव्यवस्थाएं | यूएस | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ईए | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | जेपी | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | जीबी | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | सीए | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | एयू | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| | सीएच | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ |
| उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं | बीआर | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | सीएन | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| | आईडी | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | आईएन | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | केआर | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | एमएक्स | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| | ज़ेडए | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |

यूएस : युनाइटेड स्टेट्स ईए/ईयू: यूरो एरिया जेपी: जापान जीबी: ग्रेट ब्रिटेन सीए: कनाडा एयू: आस्ट्रेलिया
सीएच: स्विट्ज़रलैण्ड बीआर: ब्राजील सीएन: चीन आईडी: इंडोनेशिया आईएन: इंडिया केआर: कोरिया
एमएक्स: मेक्सिको ज़ेडए: दक्षिण अफ्रीका

**स्रोत:** बीआईएस, आरबीआई और अन्य केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें।

VI.27 महामारी के प्रकोप के जवाब में किए गए विनियामक उपायों की सूची नीचे संक्षेप में दी गई है । भविष्य में, उभरते हालात के मद्देनज़र इनके आर्थिक प्रभाव के आकलन, पहले उठाए गए कदमों के असर और आर्थिक सुदृढ़ता को बनाए रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन विनियामक उपायों की जाँच की जाएगी:

- *दबावग्रस्त आस्ति निधि - दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मँझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गौण ऋण:* बैंकों को 01 जुलाई 2020 के परिपत्र के माध्यम से अनुमति दी गयी थी कि उनके प्रमोटरों द्वारा उनकी एमएसएमई इकाई में सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मँझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गौण कर्ज लेकर डाली गई निधि को बैंकों द्वारा ऋण-इक्विटी गणना के लिए प्रमोटर से इक्विटी/ क्वासी-इक्विटी माना जा सकता है।

- *कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तनावपूर्ण स्थितियों में समाधान फ्रेमवर्क:* 6 अगस्त 2020 को निर्देश जारी किए गए थे, जिसके माध्यम से 7 जून, 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत एक विंडो प्रदान की गई थी, जो ऋणदाताओं को स्वामित्व में बदलाव के बिना पात्र कॉर्पोरेट ऋणों तथा वैयक्तिक ऋणों के संबंध में एक समाधान योजना को लागू करने में सक्षम बनाती है जिसमें कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन वे ऐसे ऋणों को मानक मान सकते हैं । इस समाधान फ्रेमवर्क का उपयोग 31 दिसंबर 2020 तक किया जाना था और समाधान योजना को 90 दिनों (व्यक्तिगत ऋणों हेतु) और 180 दिनों (अन्य पात्र ऋणों हेतु) के भीतर कार्यान्वित कर लिया जाना था । इसके अलावा, इस फ्रेमवर्क के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें 7 सितंबर 2020 को जारी की गयी थीं । इस समाधान फ्रेमवर्क पर प्राप्त प्रश्नों के आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची भी जारी की गई थी।

- *एमएसएमई क्षेत्र – अग्रिमों की पुनर्रचना:* एमएसएमई को दिए गए मौजूदा ऋण जहां बैंकों, एआईएफआई और एनबीएफसी के समग्र ऋण ₹25 करोड़ से अधिक नहीं हैं और जो 1 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, उनके आस्ति वर्गीकरण में गिरावट किए बिना उन्हें पुनर्रचित करने की अनुमति दी गई थी । यह पुनर्रचना 31 मार्च 2021 तक कर ली जानी थी । इस आशय का एक परिपत्र 6 अगस्त 2020 को जारी किया गया था ।

- *गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण:* परिवारों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को और कम करने के उद्देश्य से, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर ऋण के लिए एलटीवी को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया था । यह बढ़ाया गया एलटीवी 31 मार्च 2021 तक लागू था ।

- *वैयक्तिक आवास ऋण - जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना:* पहले के विनियमों के अनुसार, व्यक्तिगत आवास ऋण की श्रेणी में आने वाली आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूतिकृत दावों पर पूंजी प्रभार के लिए ऋण के आकार और ऋण- मूल्य अनुपात (एलटीवी) के आधार पर विभेदित जोखिम भार लगाया जाता था । आर्थिक बहाली में स्थावर संपदा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए एक प्रतिचक्रीय उपाय के तौर पर यह निर्णय लिया गया कि जोखिम भारों को तर्कसंगत बनाया जाए, भले ही ऋण की राशि कितनी भी क्यों न हो और तदनुरूप, 16 अक्तूबर 2020 को बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए । 16 अक्तूबर 2020 को या इसके बाद से लेकर 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए जाने वाले सभी नए वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए जोखिम भार इस प्रकार होंगे (सारणी 1):

**सारणी V.1: एलटीवी अनुपात और जोखिम भार**

| एलटीवी अनुपात (प्रतिशत) | जोखिम भार (प्रतिशत) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ≤ 80 | 35 |
| > 80 and ≤ 90 | 50 |

- *वृहत् एक्सपोजर ढांचा (एलईएफ):* 3 जून 2019 को जारी एलईएफ दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रति एक्सपोजर, जो रिज़र्व बैंक के बासेल-III पूंजी विनियमन ढांचे के तहत शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं, उन्हें एलईएफ सीमा से छूट दी गई है। इसकी समीक्षा करते हुए और बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप, विदेशी संप्रभुओं या उनके केंद्रीय बैंकों को, कुछ शर्तों के अधीन, एलईएफ से छूट देने का निर्णय लिया गया था । तदनुसार, 24 फरवरी 2021 को बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे । साथ ही, 23 मार्च 2021 के परिपत्र के माध्यम से गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए एलईएफ दिशानिर्देशों के लागू होने की तारीख को 30 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- कोविड-19 से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने कुछ विनियामक कदम उठाए । निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, जो 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होना था, उसे 1 अक्टूबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया । कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबावपूर्ण स्थितियों में आर्थिक बहाली की प्रक्रिया को सहारा देने पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम भाग के कार्यान्वयन को भी 1 अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया । समीक्षा के आधार पर और प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों, जिसमें क्रेडिट-जीडीपी अंतराल को एक प्रमुख संकेतक के रूप में शामिल किया गया था, के अनुभवाश्रित परीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि इस बफर की सक्रियता संतोषजनक नहीं थी।
- पहले के अनुदेशों की समीक्षा के उपरांत, बैंकों से कहा गया कि उन्होंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित जो लाभ अर्जित किया है, उसमें से वे इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश का भुगतान न करें।

**अन्य नवोन्मेषी कार्य**

VI.28 वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए अन्य नवोन्मेषी कार्यों में से कुछ इस प्रकार थे:

- चूंकि भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन हैं, इसलिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन के ढांचे की समीक्षा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 11 जून, 2020 को 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की गयी है, और यथासमय अभिशासन पर मास्टर निदेश जारी किया जाएगा। इस बीच, इस तरह की प्रतिक्रियाओं में उठाए गए कुछ परिचालनगत पहलुओं- यथा, बोर्ड के अध्यक्ष और उसकी बैठकें, बोर्ड की कुछ समितियों का संघटन, निदेशकों की आयु, उनका कार्यकाल और उनका पारिश्रमिक, और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति – के संबंध में समाधान प्रस्तुत करने के लिए 26 अप्रैल 2021 को निदेश जारी किए गए हैं।
- भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। आईडब्ल्यूजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें प्रमोटरों की हिस्सेदारी, बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों द्वारा नए बैंकों की स्थापना, बड़े आकार की एनबीएफसी को बैंकों में बदलने, भुगतान बैंकों (पीबी) को छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) में बदलने, नए बैंकों के लाइसेंस के लिए प्रारंभिक पूंजी, बैंकों के लिए गैर-परिचालनात्मक

वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) संरचना और विभिन्न लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों में सामंजस्य से संबंधित कुछ सिफारिशें की गयी हैं। इस रिपोर्ट को 20 नवंबर 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए हितधारकों तथा जनसाधारण से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गयी थीं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं और सुझावों की जांच की जा रही है।

- मुआवजे के लिए संशोधित दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गए हैं। भविष्य में, मुआवजे की संरचना और प्रथाओं के साथ-साथ बैंकों के कामकाज पर इसका प्रभाव बेहतर विनियामक और पर्यवेक्षी निगरानी पर निर्भर करेगा, हालांकि, बैंकों में मुआवजा प्रथाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन वाणिज्यिक बैंकिंग संविभागों के भीतर और विविध संविभागों के बीच मौजूद भिन्नताओं के संदर्भ में किया जाएगा।

***2021-22 के लिए कार्ययोजना***

VI.29 विभाग 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों से जुड़े निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा:

- रिज़र्व बैंक के विनियमों को बेसल III मानकों के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में क्रेडिट जोखिम (एसए), बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और आउटपुट फ्लोर के लिए पूंजी प्रभार पर दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करना;
- ऐसी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करना जिनमें कोई चूक न हुई हो; तथा
- ऋण जोखिम के अंतरण पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना।

**सहकारी बैंक**

VI.30 विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करते हुए सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने में रिज़र्व बैंक लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संदर्भ में, वर्ष की शुरुआत में ही तय कार्य-योजना के अनुसार विभाग ने 2020-21 में कई नवोन्मेषी कार्य किए।

**2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति**

***2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.31 विभाग ने सहकारी बैंकों के लिए 2020-21 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने और जमाकर्ताओं तथा उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सहकारी बैंकों के लिए बने विनियामक ढांचे को और प्रभावी बनाना (पैरा VI.32);
- शहरी सहकारी बैंकों में पूंजी पर्याप्तता के लिए बने विनियामक ढांचे को मजबूत करने पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित करना (पैरा VI.33);
- राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए एक पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) लागू करना [पैरा VI.33]; तथा
- ऐसे कमजोर शहरी सहकारी बैंकों का अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से समाधान करना जो सर्व-समावेशी दिशानिर्देशों (एआईडी) के अधीन हैं [पैरा VI.33]।

***लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*यूसीबी क्षेत्र के समेकन के लिए नीतिगत ढांचे पर चर्चा पत्र*

VI.32 बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंक समुदाय/क्षेत्र आधारित हैं जो शहरी सहकारी बैंकों के बीच विलय और क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर बीआर अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में संशोधन किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, अभिशासन, पूंजी, लेखापरीक्षा और समामेलन के कार्य को अब रिज़र्व बैंक के दायरे में लाया गया है। इन संशोधनों से लाभ उठाते हुए यूसीबी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में गठित एक विशेषज्ञ समिति, अन्य बातों के साथ-साथ यूसीबी क्षेत्र में समेकन की संभावनाओं की जांच करेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

*विनियामकीय फ्रेमवर्क को सशक्त बनाना*

VI.33 वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुछ अन्य नवोन्मेषी कार्य इस प्रकार हैं:

- बीआर अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में संशोधन ने सहकारी बैंकों पर लागू सांविधिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन का कार्य विभाग में अभी चल रहा है और जहां भी आवश्यक है, नये दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।
- बीआर अधिनियम में पूर्वोक्त संशोधनों का प्रभाव शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी जुटाने की क्षमता बढ़ाने पर पड़ने की संभावना है। शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति तमाम अन्य बातों के साथ-साथ इससे संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगी।
- एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए एसएएफ के मसौदे पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ परामर्श अभी चल रहा है क्योंकि वह इन बैंकों का पर्यवेक्षक है।
- ऐसे कमजोर शहरी सहकारी बैंक, जो सहायता के बल पर परिचालन कर रहे हैं, उनके समाधान में तेजी लाने का कार्य निरंतर जारी है और बीआर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के उपयोग की संभावनाओं की जांच की जा रही है।

***प्रमुख गतिविधियाँ***

*सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण - शहरी सहकारी बैंक*

VI.34 आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार करने के लिए, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, ₹2,000 करोड़ या उससे अधिक की सकल आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को सिस्टम-आधारित आस्ति वर्गीकरण व्यवस्था लागू करने को कहा गया है जो 30 जून 2021 से प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक लेकिन ₹2,000 करोड़ से कम की कुल आस्ति वाले ऐसे शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने «यूसीबी के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा» विषय पर रिज़र्व बैंक के 31 दिसंबर 2019 के परिपत्र में उल्लिखित डिजिटल पहुँच और भुगतान प्रणालियों के साथ उनकी अंतर-संबद्धता के आधार पर अपना स्वयं का मूल्यांकन स्तर III या स्तर IV के रूप में किया है, उन्हें कहा गया है कि वे 30 सितंबर 2021 से इसे लागू करें। यूसीबी को इस आशय के निदेश 12 अगस्त 2020 को जारी कर दिए गए थे।

**बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत विवरणियाँ प्रस्तुत करना – समय सीमा में विस्तार**

VI.35 कोविड-19 महामारी के कारण सहकारी बैंकों के सामने विवरणियाँ प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 31 (धारा 56 के साथ पठित) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए विवरणियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा को प्रारंभ में तीन माह के लिए, अर्थात् 30 सितंबर 2020 तक और बाद में 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस आशय के परिपत्र क्रमशः 26 अगस्त और 13 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे।

**एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना - सहकारी बैंक**

VI.36 भारत सरकार की 'एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) 2018' के तहत सभी सहकारी बैंकों को 3 मार्च 2020 से पात्र ऋणदाता संस्था (ईएलआई) के रूप में शामिल कर लिया गया था। एमएसएमई के लिए इस ब्याज अनुदान योजना, 2018 (यथासंशोधित) में निर्धारित शर्तों के अधीन, पात्र एमएसएमई को उनके बकाया ताजा/वृद्धिशील सावधि ऋणों/ कार्यशील पूंजी पर दो प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज राहत प्रदान की गयी है और वैधता की अवधि के दौरान इसकी सीमा ₹1 करोड़ तक है, बशर्ते इस योजना के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों को पूरा किया गया हो।

**निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/प्रतिष्ठानों को ऋण और अग्रिम**

VI.37 शहरी सहकारी बैंकों को 5 फरवरी 2021 को सूचित किया गया था कि वे अपने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों या फर्मों/ कंपनियों/संस्थाओं को अथवा ऐसी फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों को

जिनमें उनके निदेशक या निदेशकों के रिश्तेदार हितधारक हों, उन्हें या उनकी ओर से कोई ऋण और अग्रिम (जिसे सामूहिक रूप से 'निदेशक-संबंधित ऋण' कहा जाता है) न दें, और न ही कोई अन्य वित्तीय सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा, निदेशक या उनके रिश्तेदार या ऐसी फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों को जिनमें उनके निदेशक या निदेशकों के रिश्तेदार हितधारक हों, वे यूसीबी द्वारा स्वीकृत ऋण और अग्रिम या किसी अन्य वित्तीय सुविधा के लिए ज़मानतदार / गारंटीकर्ता नहीं बन सकते।

*यूसीबी का स्वैच्छिक समामेलन*

VI.38 23 मार्च 2021 को, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए, जिसे बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) द्वारा संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के स्वैच्छिक समामेलन पर मास्टर निर्देश जारी किए। इन मास्टर निर्देशों में दो या दो से अधिक शहरी सहकारी बैंकों के स्वैच्छिक समामेलन के लिए रिज़र्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

**2021-22 के लिए कार्य-योजना**

VI.39 सहकारी बैंकों के लिए उत्कर्ष के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बनी कार्य-योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

- *यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना:* राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड को 18 अप्रैल 2020 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। उक्त यूओ के शेयरधारक सदस्यों के रूप में शहरी सहकारी बैंकों के नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। यूओ से यह अपेक्षित है कि वह एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक में आवेदन करे; तथा
- *यूसीबी क्षेत्र के समेकन पर चर्चा पत्र:* फरवरी 2021 में गठित शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, यूसीबी क्षेत्र में समेकन की संभावनाओं की जांच करेगी। इस मामले में आगे की कार्रवाई समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

***गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)***

VI.40 एनबीएफसी ऋण प्रदान करने में वाणिज्यिक बैंकों के प्रयासों के पूरक के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज के अंतिम पायदान तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती हैं। एनबीएफसी क्षेत्र के विनियमन की जिम्मेदारी इस विभाग को सौंपी गई है।

**2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति**

***2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.41 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- *बैंकों और एनबीएफसी के बीच विनियामक मध्यस्थता की समीक्षा* – ताकि एनबीएफसी के विनियमन का सामंजस्य बैंकों के विनियमन के साथ स्थापित किया जा सके (उत्कर्ष) [पैरा VI.42];
- *एनबीएफसी के विनियमन के लिए आकार-आधारित दृष्टिकोण* - ताकि 'प्रणालीगत महत्व वाली' एनबीएफसी के एक ऐसे छोटे समूह को चिह्नित किया जा सके जो वित्तीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं, और साथ ही, इसलिए भी कि एनबीएफसी के लिए एक श्रेणीवार विनियामक फ्रेमवर्क अपनाया जा सके (पैरा VI.42);
- *एचएफसी के लिए मास्टर निदेश जारी करना* – 'आवास वित्त' शब्द को परिभाषित करने, प्रमुख व्यावसायिक मानदंड, एचएफसी के लिए अर्हक आस्तियाँ और प्रणालीगत महत्व की दृष्टि से एचएफसी का वर्गीकरण आदि लागू करने से संबंधित प्रस्तावों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 17 जून 2020 को सार्वसाधारण की टिप्पणियां प्राप्त करने के उद्देश्य से रखा गया था और ये टिप्पणियां प्राप्त होने के उपरांत संशोधित विनियम जारी किए गए (पैरा VI.43 - VI.44); तथा

- *सीआईसी दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा* – किसी सीआईसी के विफल हो जाने और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने सीआईसी के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक कार्यदल (डब्ल्यूजी) का गठन किया, जिससे प्राप्त सिफारिशों के आधार पर सीआईसी के प्रति समग्र नीतिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा (पैरा VI.45).

**लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति**

*बैंकों और एनबीएफसी के बीच विनियामकीय मध्यस्थता की समीक्षा; और एनबीएफसी के विनियमन का स्केल-आधारित दृष्टिकोण*

VI.42 'एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क: स्केल-आधारित दृष्टिकोण' नामक एक चर्चा पत्र सार्वसाधारण की टिप्पणियों के लिए 22 जनवरी 2021 को जारी किया गया

**बॉक्स VI.2**

**एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क - स्केल-आधारित दृष्टिकोण**

पिछले कई वर्षों में, एनबीएफसी क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। एनबीएफसी की अधिक जोखिम लेने की क्षमता ने उनके आकार, उनकी जटिलता और परस्पर संबद्धता में वृद्धि में योगदान दिया है, जिसके कारण इनमें से कुछ संस्थाएं प्रणालीगत महत्व की हो गयी हैं और इसलिए वे वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।

इस पूरे मामले पर, रिज़र्व बैंक ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क - स्केल-आधारित दृष्टिकोण' विषय पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। एक सशक्त, सुशासित और आघातसह एनबीएफसी क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से, इस चर्चा पत्र में एक ऐसे स्केल-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया गया है जो आनुपातिकता के सिद्धांत पर काम करता है। इसके तहत विनियामकीय/पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की मात्रा इस बात से तय होगी कि किसी एनबीएफसी के परिचालन में जोखिम कितना है और इस जोखिम का प्रसार वित्तीय प्रणाली को किस सीमा तक प्रभावित कर सकता है। किस एनबीएफसी को विनियमन की कितनी आवश्यकता है, इसे आधार बनाते हुए प्रस्तावित विनियामकीय फ्रेमवर्क में एनबीएफसी के लिए अलग-अलग स्तर बनाए गए हैं।

**सबसे निचले स्तर** पर वे एनबीएफसी शामिल होंगी जिन्हें वर्तमान में प्रणालीगत महत्व न रखने वाली एवं जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस स्तर में शामिल एनबीएफसी के लिए प्रारंभिक सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ एनबीएफसी जिनका परिचालन स्वाभाविक रूप से कम जोखिम भरा माना जाता है, उन्हें इस स्तर में शामिल किया जाएगा जिसमें समकक्षीय उधार प्लैटफॉर्म, एनबीएफसी- खाता समूहक, परिचालन रहित वित्तीय होल्डिंग कंपनियां और टाइप 1 एनबीएफसी आएंगी। इस स्तर में शामिल एनबीएफसी पर एनबीएफसी-एनडी के लिए यथालागू मौजूदा विनियमन ही प्रभावी बना रहेगा। तथापि, विनियामक ढांचे के पूरक के तौर पर उन्नत अभिशासन और प्रकटीकरण मानक लागू किए जाएंगे।

**मध्य स्तर** पर प्रणालीगत महत्व रखने वाली एवं जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) शामिल होंगी। इसके अलावा, कुछ अन्य प्रकार की एनबीएफसी, जैसे हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां (एचएफसी), इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां (सीआईसी) भी अपनी गतिविधियों के आधार पर इस स्तर का हिस्सा होंगी। ये एनबीएफसी वर्तमान में एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी के लिए यथालागू विनियामक संरचना के अधीन ही कार्य करेंगी। हालांकि, आवश्यकतानुसार प्रणालीगत जोखिम स्पिलओवर को कम करने के लिए बैंकों की तुलना में विनियामकीय मध्यस्थता में आने वाली प्रतिकूलताओं से निपटने का प्रस्ताव भी किया गया है। हालांकि, सीआईसी और एसपीडी इस विनियामकीय पिरामिड के मध्य स्तर में आती हैं, उन पर विशेष रूप से लागू होने वाले विनियम आगे भी प्रभावी रहेंगे।

**उच्च स्तर** पर केवल वे एनबीएफसी शामिल होंगी जिन्हें कुछेक मापदण्डों के आधार पर विशेष रूप से प्रणालीगत महत्त्व रखने वाली एनबीएफसी के रूप में पहचाना जाता है, यथा- उनके स्केल, परस्पर संबद्धता, जटिलता और पर्यवेक्षी इनपुट। इससे पहले के स्तर पर लागू विनियमों के अतिरिक्त, इन एनबीएफसी पर कुछ अतिरिक्त विनियम लागू होंगे। प्रणाली में उनके अत्यधिक महत्व और उनके परिचालन के व्यापक पैमाने को देखते हुए, इन एनबीएफसी का विनियमन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे बैंकों का, यद्यपि एनबीएफसी के विशिष्ट व्यावसायिक मॉडल को ध्यान में रखा जाएगा और उनकी परिचालनगत सुगमता की भी रक्षा की जाएगी। इन एनबीएफसी के लिए प्रस्तावित विनियामकीय प्रावधानों में से कुछ हैं- अनिवार्य लिस्टिंग, सामान्य इक्विटी टियर 1 की शुरुआत और बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क से जुड़े कतिपय पहलू।

यह संभव है कि सुविचारित पर्यवेक्षी निर्णयों के परिणामस्वरूप कुछ एनबीएफसी उच्च विनियमन/पर्यवेक्षण के उद्देश्य से प्रणालीगत महत्व रखने वाली एनबीएफसी के ऊपरी स्तर से भी बाहर निकल जाएं। ऐसी एनबीएफसी को एक अलग सेट के रूप में शीर्ष स्तर पर रखा जाएगा। आदर्श रूप से, पिरामिड का यह शीर्ष स्तर रिक्त ही बना रहेगा जब तक कि पर्यवेक्षक विशिष्ट एनबीएफसी पर कोई राय नहीं बनाते।

**स्रोत:** आरबीआई.

था (बॉक्स VI.2)। इस चर्चा पत्र में एनबीएफसी के वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क के व्यापक सिद्धांतों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और प्रणालीगत जोखिम में एनबीएफसी के योगदान से संबंधित स्केल आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क विकसित करने की आवश्यकता की संपरीक्षा की गयी है। चर्चा पत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र को मजबूत और आघातसह बनाने के लिए उपयुक्त विनियामक उपायों की सिफारिश करने के अलावा, बैंकों और एनबीएफसी के बीच मध्यस्थता के मौजूदा विनियामकीय क्षेत्रों की भी जांच की गई है ताकि जहाँ भी उपयुक्त हो, एनबीएफसी के लिए बने विनियमों का सामंजस्य बैंकों के लिए बने विनियमों के साथ स्थापित किया जा सके।

**आवास वित्त कंपनियों के लिए मास्टर निदेश जारी करना**

VI.43 एचएफसी के विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और 17 जून 2020 को जारी परामर्श दस्तावेज पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की जांच के आधार पर, 22 अक्टूबर 2020 को एचएफसी के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन्हें भी शामिल किया गया है- 'मुख्य व्यवसाय' और 'आवास वित्त' की परिभाषा; निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) अपेक्षा को बढ़ाकर ₹20 करोड़ किया जाना; स्थावर संपदा क्षेत्र की ग्रुप कंपनियों को ऋण पर प्रतिबंध; एनबीएफसी पर लागू चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का विस्तार; और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग और सोने के आभूषणों / शेयरों को संपार्श्विक रखते हुए ऋण देने तथा एचएफसी को देय मोचन-निषेध शुल्क पर दिशानिर्देश। एचएफसी और एनबीएफसी के लिए बने पूंजी आवश्यकता से जुड़े विनियमों के बीच और अधिक सामंजस्य स्थापित करना; आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) संबंधी मानदंड; संकेंद्रण और एक्सपोज़र संबंधी अन्य मानदंड; और जमा स्वीकार करने से संबंधित मुद्दों को अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संक्रमण में कम से कम व्यवधान आए।

VI.44 सभी लागू विनियमों को शामिल करते हुए आवास वित्त कंपनियों के लिए मास्टर निदेश 17 फरवरी 2021 को जारी किए गए।

**सीआईसी दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा**

VI.45 सीआईसी के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए गठित कार्यदल (डब्ल्यूजी) (अध्यक्ष: श्री तपन रे) की सिफारिशों और हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, सीआईसी के लिए संशोधित दिशानिर्देश 13 अगस्त 2020 को जारी किए गए थे। बड़े परिवर्तनों में से प्रमुख इस प्रकार हैं:

- एक सीआईसी द्वारा दूसरे सीआईसी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी अंशदान के रूप में किए गए निवेश की राशि, जो उसकी स्वाधिकृति निधि के 10 प्रतिशत से अधिक हो, को घटाते हुए समायोजित निवल मालियत।
- किसी समूह के भीतर सीआईसी के स्तरों की संख्या (मूल सीआईसी सहित) दो से अधिक नहीं होगी, भले ही उसमें किसी सीआईसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होल्डिंग / नियंत्रण किसी भी सीमा तक हो।
- समूह की जनक सीआईसी को सामूहिक जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) का गठन करना होगा, और यदि किसी समूह में ऐसी कोई सीआईसी नहीं है जिसे जनक सीआईसी के रूप में चिह्नित किया जा सके, तो यह कार्य सबसे बड़े आस्ति-आकार वाली सीआईसी को करना होगा।
- ₹5,000 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाली सभी सीआईसी मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करेंगी।
- सीआईसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार करना होगा। ऐसी समूह-संस्थाओं के लिए, जिनका लेखा-विवरण ऐसे समेकन के लिए पात्र नहीं होता, उनके लिए अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त प्रकटीकरण का निर्धारण किया गया है।

***प्रमुख गतिविधियाँ***

*लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा का विस्तार*

VI.46 वर्तमान में फैली महामारी से उत्पन्न परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक

एनबीएफसी को अपनी बैलेंस शीट संबंधित तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर या सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित किसी तारीख तक अंतिम रूप देना होगा। इस संबंध में एक परिपत्र 6 जुलाई 2020 को जारी किया गया था।

*एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा पर दिशानिर्देशों का मसौदा*

VI.47 बैंकों से विपरीत, एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में वर्तमान में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके अंतर्संबंधों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया है। एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को कुछ शर्तों के अधीन, मापदंडों के एक सांचे के अनुसार लाभांश घोषित करने की अनुमति होगी। इस संबंध में एक परिपत्र का मसौदा 9 दिसंबर 2020 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था जिस पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं।

*वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पात्र खरीदारों के रूप में अधिसूचित करना*

VI.48 सभी एआईएफ के लिए एकसमान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, ट्रस्ट के रूप में स्थापित तथा सेबी (एआईएफ) विनियम, 2012 के तहत सेबी में पंजीकृत श्रेणी I एआईएफ को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत पात्र खरीदारों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

**2021-22 के लिए कार्य-योजना**

VI.49 वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग एनबीएफसी/ आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा:

- एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क - वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व को देखते हुए;
- एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र के विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क का सामंजस्य; तथा
- एआरसी के विनियामक और कानूनी ढांचे की व्यापक समीक्षा ताकि वित्तीय क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी क्षमता का उपयोग हो सके।

## 4. वित्तीय मध्यस्थों का पर्यवेक्षण

### पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

**वाणिज्यिक बैंक**

VI.50 सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), निजी बैंक, एसएफबी, क्रेडिट सूचना कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को सौंपी गई है।

**2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति**

***2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.51 विभाग ने 2020-21 के दौरान अनुसूचित सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एक विस्तृत निर्देशात्मक फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा जिसमें बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिकाओं और उनके प्राधिकार का उल्लेख होगा, ताकि सीसीओ से की जाने वाली अपेक्षाओं का संरेखण सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ करने के अतिरिक्त, दृष्टिकोण में एकरूपता लायी जा सके (*उत्कर्ष*) [पैरा VI.52];
- जलवायु परिवर्तन के कारण आए अभूतपूर्व जोखिमों और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के लिए इनके निहितार्थों पर विशेष ध्यान देते हुए एससीबी की जोखिम और अनुपालन संस्कृति और कारोबार नीति का आकलन, ताकि वित्तीय प्रणाली के हालात सुदृढ़ किए जा सकें (*उत्कर्ष*) [पैरा VI.53 - VI.54 ]; तथा

- विभाग केवाईसी/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से संबंधित पर्यवेक्षी डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को और मजबूत करेगा जो केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के संबंध में जोखिमों का बेहतर ढंग से पता लगाने, जोखिम-मूल्यांकन और जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रक्रियाएं एवं जोखिम आधारित केवाईसी/एएमएल निरीक्षण करने के लिए बैंकों को जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए मॉडल तैयार करना सुविधाजनक बनाएगा (पैरा VI.55)।

***लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्य*

VI.52 बैंकों के अनुपालनात्मक कार्य/ संरचना में एकरूपता लाने के साथ-साथ सीसीओ की भूमिका से जुड़ी पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से, बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्यों पर दिशानिर्देशों को 11 सितंबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य है- सीसीओ की स्वतंत्रता, प्राधिकार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि करना; और साथ ही, इनमें यह भी प्रावधान है कि सीसीओ 'उपयुक्त और उचित' मापदंडों का पालन करने वाला होना चाहिए और सीसीओ का कद ऐसा होना चाहिए कि सीसीओ स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और यह सुनिश्चित कर सके कि व्यावसायिक क्रियाकलाप यथालागू कानूनों/विनियमों/नीतियों का अनुसरण करें।

*जोखिम और अनुपालन संस्कृति आकलन फ्रेमवर्क*

VI.53 प्रभावी आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के निर्माण में एक स्वस्थ जोखिम और अनुपालन संस्कृति के महत्व को समझते हुए और बैंक के परिचालनों को समग्र रूप से अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) के मार्गदर्शन के लिए एक विस्तृत जोखिम और अनुपालन संस्कृति मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य उन प्रथाओं, व्यवहारों और दृष्टिकोणों की पहचान करने में पर्यवेक्षकों की सहायता करना है जो संस्थान की जोखिम संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

*न्यूनतम पर्यवेक्षी अपेक्षाएं (एमएसई)*

VI.54 विभाग ने एसएसएम के लिए एक मार्गदर्शी नोट भी तैयार किया है जिसमें एमएसई का उल्लेख है जिसके तहत जोखिम अभिशासन, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा पर उन सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को शामिल किया गया है जिनका अनुपालन पर्यवेक्षी स्तर पर बैंकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। एसएसएम इन एमएसई का इस्तेमाल बैंकों में आश्वासन कार्यों की पर्याप्तता का आकलन करने के साथ-साथ आश्वासन कार्यों की सुदृढ़ता, प्रभावकारिता और पर्याप्तता के संदर्भ में उनके मूल्यांकन को और अधिक चुस्त बनाने के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

*केवाईसी/ एएमएल के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए)*

VI.55 बैंकों से यह अपेक्षित है कि उनके पास अपने आंतरिक अभिशासन फ्रेमवर्क में केवाईसी/ एएमएल जोखिमों से निपटने के लिए एक ठोस जोखिम-प्रबंधन रणनीति हो। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की सिफारिशों की तर्ज पर कार्य करते हुए आरबीए को विकसित किया है ताकि केवाईसी/एएमएल की दृष्टि से पर्यवेक्षण किया जा सके। बैंकों द्वारा प्रस्तुत केवाईसी/एएमएल डेटा के आधार पर जोखिम स्कोर की गणना करने के लिए एक मॉडल भी विकसित किया गया है। चुनिंदा बैंकों के केवाईसी/एएमएल जोखिम स्कोर/रेटिंग के आधार पर विशेषीकृत ऑन-साइट मूल्यांकन भी किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में काला धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने और उन्हें कम करने के अलावा आरबीए जोखिम की बेहतर पहचान करने और जोखिम-मूल्यांकन में सुधार को सुविधाजनक बनाएगा।

***प्रमुख गतिविधियाँ***

*मूल कारण का विश्लेषण (आरसीए)*

VI.56 वर्तमान पर्यवेक्षी चक्र से आरसीए करने की दिशा में विशेष जोर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभिशासन, निरीक्षण और आश्वासन कार्य, कारोबार नीति और जोखिम तथा अनुपालन संस्कृति का विस्तृत मूल्यांकन भी शामिल है।

*पर्यवेक्षी महाविद्यालयों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालनरत भारतीय बैंकों का पर्यवेक्षण*

VI.57 पर्यवेक्षी महाविद्यालयों के मंच का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालनरत भारतीय बैंकों की निरंतर निगरानी के लिए किया जा रहा है । कोविड-19 महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों की वजह से पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की बैठकें वर्चुअल मोड में आयोजित की गयीं, जिनमें हुए विचार-विमर्श में इन बैंकों के विदेश स्थित पर्यवेक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया ।

*बैंकों में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाना*

VI.58 दिनांक 14 सितंबर 2020 के परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा गया था कि वे अपनी आईआरएसीपी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाएं। स्वचालित आस्ति वर्गीकरण [अग्रिमों/निवेशों का अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकरण और उनका उन्नयन], प्रावधानीकरण से जुड़ी गणना और आय निर्धारण प्रक्रियाओं की संपूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे अपनी इन प्रणालियों को अनिवार्य रूप से 30 जून 2021 तक इस प्रकार लागू करें / उन्नत बनाएं कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप बन सकें ।

*वृहद आकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) - समीक्षा*

VI.59 बैंकिंग परिचालनों में आकार, जटिलताओं, कारोबारी मॉडल और जोखिमों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीए) सहित अन्य हितधारकों का परामर्श लेते हुए एलएफएआर के प्रारूप की समीक्षा की गयी और उसे संशोधित किया गया । 5 सितंबर 2020 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों से यह अपेक्षा व्यक्त की गयी है कि वे वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा विशेष विवेकसम्मत पर्यवेक्षी अपेक्षाओं पर भी अपनी रिपोर्ट लिखें ।

*साइबर सुरक्षा संबंधी प्रगति*

VI.60 यह समझते हुए कि बैंकों के समक्ष साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जोखिमों का वातावरण लगातार विकसित हो रहा है, विभाग ने बैंकों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के साथ आवधिक बैठक की एक प्रणाली स्थापित की है। इस तरह की बैठकों का उद्देश्य उत्तर-महामारी विश्व की उन चुनौतियों को महसूस करने के लिए जमीनी तौर पर हितधारकों से रूबरू होना है जिनकी विशेषता है सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम के साथ उपयोगकर्ताओं के इंटरफेस में बदलाव, बैंकों द्वारा नियोजित सर्वोत्तम प्रथाएं और क्लाउड कंप्यूटिंग और ओपन बैंकिंग जैसे नए तकनीकी और ऑपरेटिंग प्रतिमानों को अपनाने के कारण परिकल्पित नए खतरे। इस नई प्रणाली को उन तरीकों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसमें पर्यवेक्षण की कार्यपद्धति साइबर अनुकूल बैंकिंग प्रणाली के निर्माण के लिए अधिक अनुकूलनशील दृष्टिकोण में बदल रही है।

*धोखाधड़ी विश्लेषण*

VI.61 वर्ष 2020-21 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की मात्रा वर्ष 2019-20 की तुलना में (सारणी VI.2) संख्या के रूप में 15 प्रतिशत और मूल्य के रूप में 25 प्रतिशत घट गई । इसी अवधि के दौरान कुल धोखाधड़ी में (संख्या और मूल्य दोनों रूप में) पीएसबी की हिस्सेदारी घट गई जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में वृद्धि हुई।

VI.62 परिचालन के क्षेत्र के अनुसार संख्या और मूल्य दोनों (सारणी VI.3) के संदर्भ में धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम श्रेणी) में हुई है। यद्यपि 2020-21 के लिए अग्रिम श्रेणी में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मूल्य, प्रतिशत के संदर्भ में, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान रहे, संख्या के संदर्भ में अग्रिम श्रेणी में धोखाधड़ी की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। 2018-19 से ऑफ-बैलेंस शीट (मूल्य के संदर्भ में) की हिस्सेदारी घट रही है।

VI.63 वर्ष 2020-21 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के लिए धोखाधड़ी की घटना की तारीख और पता लगाने की तारीख के बीच औसत समय अंतराल 23 महीने था। हालांकि, ₹ 100

## सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूह-वार

(राशि करोड़ ₹ में)

| बैंक समूह /संस्था | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | धोखाधड़ी की संख्या | शामिल राशि | धोखाधड़ी की संख्या | शामिल राशि | धोखाधड़ी की संख्या | शामिल राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 3,704 *(54.5)* | 64,207 *(89.8)* | 4,410 *(50.7)* | 1,48,224 *(79.9)* | 2,903 *(39.4)* | 81,901 *(59.2)* |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 2,149 *(31.6)* | 5,809 *(8.1)* | 3,065 *(35.2)* | 34,211 *(18.4)* | 3,710 *(50.4)* | 46,335 *(33.5)* |
| विदेशी बैंक | 762 *(11.2)* | 955 *(1.3)* | 1026 *(11.8)* | 972 *(0.5)* | 521 *(7.1)* | 3,315 *(2.4)* |
| वित्तीय संस्थाएं | 28 *(0.4)* | 553 *(0.8)* | 15 *(0.2)* | 2,048 *(1.1)* | 25 *(0.3)* | 6,839 *(4.9)* |
| लघु वित्त बैंक | 115 *(1.7)* | 8 *(0.0)* | 147 *(1.7)* | 11 *(0.0)* | 114 *(1.6)* | 30 *(0.0)* |
| भुगतान बैंक | 39 *(0.6)* | 2 *(0.0)* | 38 *(0.4)* | 2 *(0.0)* | 88 *(1.2)* | 2 *(0.0)* |
| स्थानीय क्षेत्र के बैंक | 1 *(0.0)* | 0.02 *(0.0)* | 2 *(0.0)* | 0.43 *(0.0)* | 2 *(0.0)* | 0 *(0.0)* |
| **कुल** | **6,798** ***(100.0)*** | **71,534** ***(100.0)*** | **8,703** ***(100.0)*** | **1,85,468** ***(100.0)*** | **7,363** ***(100.0)*** | **138,422** ***(100.0)*** |

**नोट:** 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल हिस्से को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. बैंकों और एफआई द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. रिपोर्ट की गई शामिल रकम वहन की गई नुकसान की राशि को नहीं दर्शाती है। रिकवरी के अनुसार नुकसान घटता जाता है। इसके अलावा, जरूरी नहीं की पूरी शामिल राशि डाइवर्ट की ही गई हो।
4. इन धोखाधड़ी की घटनाओं की तिथियां पिछले कई वर्षों में फैली हुई हैं।
5. उपर्युक्त डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹ 1 लाख या अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में है।

**स्रोत:** आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियां

करोड़ और उससे अधिक के बड़े धोखाधड़ी के संबंध में, इसी अवधि के लिए औसत अंतराल 57 महीने था।

### 2021-22 के लिए कार्यसूची

VI.64 विभाग ने 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को चिह्नित किया है:

- कारोबार कार्यनीति / मॉडल (उत्कर्ष) के साथ जोखिम और अनुपालन संस्कृति सहित निरीक्षण और आश्वासन कार्यों के ऑन-साइट मूल्यांकन को मजबूत करना;
- पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए अभिनव और परिवर्तनशील सुपटेक को उसकी क्षमता व सामर्थ्य को संशोधित करके अपनाना (उत्कर्ष);
- सभी बैंकों से डेटा संग्रह की प्रक्रिया और चुनिंदा बैंकों के ऑफ-साइट मूल्यांकन तथा ऑनसाइट पर्यवेक्षण को केवाईसी / एएमएल पर्यवेक्षण के लिए विकसित जोखिम-आधारित मॉडल के परिणामों के आधार पर सुव्यवस्थित करना; और
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली में संवृद्धि करना जिसमें आरंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) ढांचे की प्रभावशीलता में सुधार लाना, धोखाधड़ी अधिशासन और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना, लेनदेन की निगरानी के लिए डेटा विश्लेषण को बढ़ाना, धोखाधड़ी के लिए विनिर्मित बाजार आसूचना (एमआई) इकाई की शुरूआत करना और प्रत्येक धोखाधड़ी के लिए सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अद्वितीय संख्या उत्पन्न करने की व्यवस्था को क्रियान्वित करना भी शामिल हैं।

**सारणी VI.3: धोखाधड़ी के मामले – परिचालन क्षेत्र**

(राशि करोड़ ₹ में)

| परिचालन क्षेत्र | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | धोखाधड़ी की संख्या | शामिल राशि | धोखाधड़ी की संख्या | शामिल राशि | धोखाधड़ी की संख्या | शामिल राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अग्रिम | 3,603 *(53.0)* | 64,539 *(90.2)* | 4,608 *(52.9)* | 1,81,942 *(98.1)* | 3,501 *(47.5)* | 1,37,023 *(99.0)* |
| तुलन पत्रेत्तर | 33 *(0.5)* | 5538 *(7.7)* | 34 *(0.4)* | 2445 *(1.3)* | 23 *(0.3)* | 535 *(0.4)* |
| विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन | 13 *(0.2)* | 695 *(1.0)* | 8 *(0.1)* | 54 *(0.0)* | 4 *(0.1)* | 129 *(0.1)* |
| कार्ड/इंटरनेट | 1,866 *(27.5)* | 71 *(0.1)* | 2,677 *(30.8)* | 129 *(0.1)* | 2,545 *(34.6)* | 119 *(0.1)* |
| जमाराशियां | 593 *(8.7)* | 148 *(0.2)* | 530 *(6.1)* | 616 *(0.3)* | 504 *(6.8)* | 434 *(0.3)* |
| अंतर-शाखा खाते | 3 *(0.0)* | 0 *(0.0)* | 2 *(0.0)* | 0 *(0.0)* | 2 *(0.0)* | 0 *(0.0)* |
| नकद | 274 *(4.0)* | 56 *(0.1)* | 371 *(4.3)* | 63 *(0.0)* | 329 *(4.5)* | 39 *(0.0)* |
| चेक/ मांग ड्राफ्ट, आदि. | 189 *(2.8)* | 34 *(0.1)* | 201 *(2.3)* | 39 *(0.0)* | 163 *(2.2)* | 85 *(0.1)* |
| समाशोधन खाते, आदि. | 24 *(0.4)* | 209 *(0.3)* | 22 *(0.2)* | 7 *(0.0)* | 14 *(0.2)* | 4 *(0.0)* |
| अन्य | 200 *(2.9)* | 244 *(0.3)* | 250 *(2.9)* | 173 *(0.1)* | 278 *(3.8)* | 54 *(0.0)* |
| **कुल** | **6,798** ***(100.0)*** | **71,534** ***(100.0)*** | **8,703** ***(100.0)*** | **1,85,468** ***(100.0)*** | **7,363** ***(100.0)*** | **1,38,422** ***(100.0)*** |

**नोट:** 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल हिस्से को (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. बैंकों और एफआई द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
3. उपर्युक्त डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹ 1 लाख या अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में है।
4. इन धोखाधड़ी की घटनाओं की तिथियां पिछले कई वर्षों में फैली हुई हैं।
5. रिपोर्ट की गई शामिल राशि वहन की गई नुकसान की राशि को नहीं दर्शाती है। रिकवरी के अनुसार नुकसान घटता जाता है। इसके अलावा, जरूरी नहीं की पूरी शामिल राशि डाइवर्ट की ही गई हो।

**स्रोत:** आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियां

### शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.65 विभाग ने सुरक्षित और सुप्रबंधित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान यूसीबी की समय-समय पर निगरानी की।

### 2020-21 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

#### *2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य*

VI.66 विभाग ने 2020-21 में यूसीबी की निगरानी के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चुनिंदा यूसीबी (उत्कर्ष) के लिए विभेद आधारित पर्यवेक्षण तंत्र की शुरुआत (उत्कर्ष) [पैरा VI.67];
- सभी मुख्य कार्यों के लिए यूसीबी के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) मॉड्यूल का एकीकरण; प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए मॉड्यूलों को स्वचालित किया जाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.68];
- अधिक पर्यवेक्षकीय जांच के लिए यूसीबी सेक्टर की रिपोर्टिंग हेतु बड़े ऋणों के लिए सूचना का केंद्रीकृत भंडार (सीआरआईएलसी) का उपयोग किया जाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.69]; और
- आकार और आवधिकता पर फोकस करते हुए यूसीबी की निरीक्षण प्रक्रिया को उस क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुसार ढ़ालना (पैरा VI. 67 - VI.69).

### *लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*यूसीबी के लिए विभेद आधारित पर्यवेक्षण तंत्र*

VI.67 यूसीबी के लिए, आवश्यकता आधारित (कैलिब्रेटेड) पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण संस्थानों पर निगरानी को अधिक जोखिम-केंद्रित तरीके से मजबूत करना, पर्यवेक्षण आनुपातिकता और आर्थिक दक्षता में सुधार करना, और पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त श्रेणी को प्रयुक्त करना है। (बॉक्स VI.3).

*यूसीबी को सीबीएस अनुपालित बनाना*

VI.68 31 मार्च 2021 के अनुसार 1,536 यूसीबी (99.67 प्रतिशत) में से 1,531 ने सीबीएस लागू किया है। शेष पांच यूसीबी में से तीन एआईडी (नकारात्मक निवल मालियत) के अंतर्गत रखे गए हैं। सकारात्मक निवल मालियत वाले केवल 2 यूसीबी को सीबीएस पूरा करना बाकी है।

*यूसीबी के लिए सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग*

VI.69 ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति वाले यूसीबी के ऑफ-साइट पर्यवेक्षण को मजबूत करने और उनके वित्तीय संकट की जल्द पहचान के उद्देश्य से उन्हें सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। इसने चुनिंदा बड़े यूसीबी के बड़े कर्जदारों के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण को सक्षम किया है। सीआरआईएलसी विवरणी की सूचनाओं का उपयोग पर्यवेक्षी चिंताओं, अर्थात, आपराधिक उधारकर्ताओं और संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजर की पहचान के लिए किया गया है। यह विभाग को यूसीबी क्षेत्र से संबंधित उपयुक्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में भी सक्षम बनाएगा। सीआरआईएलसी डेटा की समीक्षा और विश्लेषण के अलावा, इंटरएक्टिव डैशबोर्ड विकसित

**बॉक्स VI.3**
**यूसीबी पर्यवेक्षण के बदलते प्रतिमान – भावी दिशा**

शहरी सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में अल्पसाधन वाले लोगों की सेवा करने के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बेहतर स्थिति में हैं। यूसीबी क्षेत्र इस मायने में अद्वितीय है कि आकार, भौगोलिक वितरण, कार्य-निष्पादन और वित्तीय सुदृढ़ता के मामले में इस क्षेत्र में बैंकों के बीच व्यापक विविधता है। इस क्षेत्र में इकाई यूसीबी, एक राज्य के भीतर परिचालन करने वाली बहु-शाखा यूसीबी और एक से अधिक राज्यों में संचालन क्षेत्र वाले बहु-राज्यीय यूसीबी हैं।

ग्राहकों के अपने बेहतर ज्ञान और परिचालन के क्षेत्र से सुपरिचित होने के कारण सहकारी बैंक नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं और अपने अनूठे कारोबारी प्रस्तावों के साथ मौजूदा ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए दृष्टिकोण, प्रक्रियाओं, व्यवसाय मॉडल और रणनीति में उपयुक्त बदलावों की आवश्यकता हो सकती है।

हालाँकि, सहकारी बैंक अब अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक उद्यमियों के प्रवेश और प्रौद्योगिकी ने ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ा दिए हैं और बैंकों के सामने विकास के लिए अवसर और अस्तित्व के लिए चुनौतियां दोनों हैं। जैसे जैसे बैंकिंग व्यवसाय अधिक जटिल और प्रतिस्पर्धी होता जाएगा, कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ जाएगी, आईटी के बुनियादी ढांचे में नियमित निवेश की आवश्यकता होगी और अनुपालन की लागत भी बढ़ जाएगी।

रिज़र्व बैंक ने नए एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस ) के अंतर्गत यूसीबी सेक्टर की निगरानी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि यूसीबी में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस), संशोधित कैमेल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन,आय, चलनिधि और प्रणाली व नियंत्रण) यूसीबी के लिए रेटिंग मॉडल, विस्तृत डेटा एनालिटिक्स, भेद्यताओं का आकलन, साइबर जोखिम का आकलन, ऑफ-साइट / ईएक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) रिपोर्टिंग प्रणाली का केंद्रीकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) / भेद्य/ कमजोर यूसीबी के निदेशकों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान/ बैठकें आदि का कार्यान्वयन।

रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 5 फरवरी 2021 के वक्तव्य में इस सेक्टर को मजबूत करने और यूसीबी हेतु एक मध्यम अवधि का रोडमैप प्रदान करने व यूसीबी बैंकों का पुनर्वास/समाधान तेजी से करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ इन संस्थाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना के बारे में घोषणा की है। समिति यूसीबी बैंकों के पुनर्वास/समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाएगी, क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करेगी, अंतर विनियमों की आवश्यकता पर विचार करेगी और यूसीबी की आघातसह्यता बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए अनुमेय गतिविधियों हेतु अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए संभावनाओं को जांच करेगी ताकि एक स्फूर्त और आघातसह्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऐसा विज़न दस्तावेज बनाया जा सके जो जमाकर्ताओं के हित और प्रणालीगत मुद्दों के साथ-साथ सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित हो।

**स्रोत**: आरबीआई.

किए गए हैं जिन्हें पर्यवेक्षी टीमों के साथ साझा किया गया है ताकि बैंकों को शुरुआती दबाव के संकेतों की पहचान करने में मदद मिल सके।

*अन्य नवोन्मेषी कार्य*

VI.70 साइबर सुरक्षा के परिदृश्य ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों को व्यापक रूप से अपनाते हुए विकसित होना जारी रखा है जिसके कारण आवश्यक है कि यूसीबी उनसे संबंधित जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करे। साइबर सुरक्षा पहलुओं पर किए गए विभिन्न उपायों को साझा करने और समन्वय के लिए यूसीबी और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग को आवश्यक माना गया था। अतः यूसीबी के लिए "साइबर सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी विजन डॉक्यूमेंट" प्रकाशित किया गया जो पांच साल के कार्यनीतिक दृष्टिकोण 'गार्ड' - गवर्नेंस ओवरसाइट (जी), यूटाइल प्रौद्योगिकी निवेश (यू), अप्परोप्रिएट विनियमन और सुपरविजन (ए), रोबस्ट कोलाबोरेशन (आर), और आवश्यक आईटी और साइबर सुरक्षा कौशल डेवलप (डी) करना - के माध्यम से तीन साल की अवधि में इस उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।

**2021-22 के लिए कार्य-योजना**

VI.71 विभाग ने 2021-22 में यूसीबी की निगरानी के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आईटी / साइबर सुरक्षा जांच संचालित करना (उत्कर्ष);
- चुनिंदा यूसीबी के केवाईसी / एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित करना;
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और दबाव परीक्षण ढांचे को मजबूत करना; तथा
- चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी परीक्षण की शुरुआत करना

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)**

VI.72 विभाग ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों - एचएफसी को छोड़कर) और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की निगरानी को प्रभावी ढंग से जारी रखा।

**2020-21 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति**

***2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.73 विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत 2020-21 के लिए एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एनबीएफसी की निगरानी और पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे

(I) (इंडज-एएस) के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का पता लगाने के बाद में विनियामक मार्गदर्शन/निर्देश जारी करना ; (ii) निरंतर आधार पर एनबीएफसी और संबंधित पक्षों के वित्तीय मानकों/ बाजार के रुख की गति का आकलन करने के लिए एनबीएफसी की बाजार आसूचना (एमआई) को मजबूत करना; (iii) एनबीएफसी के बीच एक मजबूत अनुपालन और जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना, और (iv) पर्याप्त निवल स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ) बनाए रखने के संबंध में रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले एनबीएफसी को समाप्त करना और रिटर्न दाखिल करना (पैरा VI.74 - VI.79).

***लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*इंड -एएस का कार्यान्वयन*

VI.74 इंड -एएस के कार्यान्वयन के लिए विनियामक मार्गदर्शन 13 मार्च 2020 को जारी किया गया था, जिसमें विनियामक पूंजी और विनियामक अनुपातों की गणना पर मार्गदर्शन के साथ-साथ इंड -एएस कार्यान्वयन के लिए अधिशासन ढांचा और अपेक्षित ऋण हानि के लिए विवेकपूर्ण सीमा को कवर किया गया। एनबीएफसी के पर्यवेक्षण में वर्तमान पर्यवेक्षी चक्र के दौरान इंड -एएस के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को भी कवर किया गया।

*एनबीएफसी का पर्यवेक्षण*

VI.75 एनबीएफ़सी के लिए मजबूत ऑफ-साइट निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में, जमाराशियाँ लेने वाली एनबीएफ़सी (एनबीएफ़सी-डी) और जमाराशियाँ नहीं लेने प्रणालीगत रूप से

महत्वपूर्ण एनबीएफ़सी (एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई) और सीआईसी की संरचनागत चलनिधि स्थिति का हर महीने मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि उन एनबीएफसी/सीआईसी की पहचान की जा सके जो बाद के छह महीनों की अवधि के दौरान किसी भी समयावधि में महत्वपूर्ण नकारात्मक बेमेल पेश करती हैं। एनबीएफसी क्षेत्र के वित्तीय प्रदर्शन पर त्रैमासिक विश्लेषणात्मक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं जो आस्ति वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, क्षेत्र-वार ऋण और चलनिधि के रुझानों का संकेत देती हैं।

VI.76 बैंकों और एनबीएफसी के सक्रिय ऑफ-साइट निगरानी ढांचे के हिस्से के रूप में प्रारंभिक चेतावनी ढांचा हाल ही में शुरू किया गया है। इस ढांचे में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण उन आंकड़ों के साथ साथ व्यापक आर्थिक आंकड़ों, बाजार संकेतक और बैंकिंग संकेतक को कवर करने के लिए संकेतकों के एक समूह की भी पहचान किया जाना शामिल है जो बैंकों/ एनबीएफसी के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान कर सकते हैं।

VI.77 पर्यवेक्षण के 5वें स्तंभ के भाग के रूप में, विभाग एनबीएफसी के वरिष्ठ प्रबंधन, विशेषत: बडी कंपनियों के साथ निरंतर संपर्क में है। दबाव, परिसंपत्तियों में अत्यधिक वृद्धि, अपराध में अचानक वृद्धि या चलनिधि बेमेल होने और/या वित्तीय स्थिति में गिरावट के किसी भी संकेत के मिलने पर मामले को एसई के साथ उठाया जाता है।

VI.78 नियमों का कार्यान्वयन कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कार्यालय (केका) और क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेका) दोनों स्तर पर एनबीएफसी के साथ संपर्क बढ़ाकर रखा जाता है। एनबीएफसी के व्यापार मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तनों की दृष्टि से यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके लिए गतिशील पर्यवेक्षी फोकस (बॉक्स VI.4) की आवश्यकता होती है।

VI.79 विभाग उन एनबीएफसी की पहचान कर रहा है जो न्यूनतम निवल स्वधारित निधि (एनओएफ) अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते है और ऐसे एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण (सीओआर) पत्र को निरस्त कर रहा है।

**2021-22 के लिए कार्य-योजना**

VI.80 विभाग ने 2021-22 में एनबीएफसी की देखरेख के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- आइएनडी -एएस (उत्कर्ष) के तहत पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली डिजाइन करना;
- एनबीएफसी (उत्कर्ष) के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का कार्यान्वयन;
- एनबीएफसी के एमआई और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी मूल्यांकन को मजबूत करना;

**बॉक्स VI.4**

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कारोबार मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तन और सशक्त पर्यवेक्षण**

बैंक की कम पहुंच वाले ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की अंतिम-मील पहुंच प्रदान करके एनबीएफसी वित्तीय मध्यस्थता और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वैश्विक स्तर पर, इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तनकारी रुझान देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में सामूहिक निवेश स्रोतों में तेजी से विस्तार, ऐसी संस्थाओं के सीमा पार लिंकेज में वृद्धि, अल्पकालिक वित्त-पोषण तथा फिनटेक और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर और अधिक निर्भरता के अलावा पीयर टू पीयर ऋण, क्राउडफंडिंग, लेवरेज प्राप्त ऋण और संपार्श्विककृत ऋण दायित्वों (सीएलओ) जैसे वित्तीय नवाचार का सहारा लेने में वृद्धि। इस प्रकार, एनबीएफसी के कारोबार मॉडल दुनिया भर में बदल रहे हैं।

भारत में, कतिपय बड़ी एनबीएफसी कंपनियों में हाल ही में ऋण या बाजार की घटनाओं के बाद चलनिधि समस्याओं और संबंधित वित्तीय स्थिरता चिंताओं के परिणामस्वरूप एनबीएफसी के लिए पर्यवेक्षी फोकस में वृद्धि के साथ-साथ कारोबार मॉडल में भी बदलाव हुए हैं। पर्यवेक्षी फोकस और एनबीएफसी क्षेत्र के बदलते परिदृश्य का मूल्यांकन करना प्रासंगिक होगा।

**एनबीएफसी पर पर्यवेक्षण को सशक्त बनाना**: इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस

*(जारी)*

लिमिटेड (डीएचएफएल) की घटनाओं के बाद चलनिधि दबाव के मद्देनजर एनबीएफसी के लिए बाजार की फंडिंग की स्थिति मुश्किल हो गई। जबकि बेहतर शासन मानकों, मजबूत कारोबार मॉडल और कुशल संचालन प्रथाओं वाली एनबीएफसी कंपनियों ने अच्छा कार्य-निष्पादन किया और निधि जुटा सकीं, दूसरों ने बाजार की शक्तियों का नुकसान सबसे अधिक भुगता। छोटे एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), जो अंतिम-मील ऋण वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, वे भी प्रभावित हुए क्योंकि उनके निधीयन स्रोत और भी संकुचित हो गये।

जवाब में, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई संतुलित कदम उठाए और इस क्षेत्र की दीर्घकालिक आघातसह्यता में सुधार के लिए पर्यवेक्षण बढ़ाया। एनबीएफसी की निगरानी को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कुछ विशेष उपायों में - आकार-आधारित पर्यवेक्षण (वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक दृष्टिकोण की शुरूआत सहित), सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी और कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) का निरीक्षण; विवरणियों में संशोधन कर उन्हें युक्तिसंगत बनाना और कंप्यूटरीकृत ऑफ-साइट परोक्ष निगरानी प्रणाली (कॉस मॉस) प्लेटफॉर्म से अधिक उन्नत एक्सटेंसिबिल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन; एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म पर एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) द्वारा वार्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना; ठगीपूर्ण योजनाओं/अनधिकृत रूप से जमाराशि जुटाने वालों के बारे जानकारी देने के लिए 11 क्षेत्रीय भाषाओं में सचेत पोर्टल की स्थापना और पर्यवेक्षण के पांचवे स्तंभ - हितधारकों से मुखातिब होना - का सक्रिय रूप से अनुसरण शामिल है।

**एनबीएफसी के व्यावसायिक मॉडल में संरचनात्मक परिवर्तन:** एनबीएफसी कंपनियों ने अपने आकार और परिचालन की विविधता के मामले में एक लंबा सफर तय किया है। इन वर्षों में, इस क्षेत्र में तेजी से वृध्दि हुई है और कुछ बड़े एनबीएफसी निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के आकार के समतुल्य हो गए हैं। इस क्षेत्र में कई गैर-पारंपरिक खिलाड़ियों ने तकनीक आधारित नवीन कारोबारी मॉडल अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।

चलनिधि की समस्याएं, परिसंपत्ति की गुणवत्ता के दबाव में वृद्धि और कोविड-19 के असर के साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने एनबीएफसी को अपने कारोबारी मॉडल के बारे में फिर से सोचने के लिए प्रेरित किया है। हाल के वर्षों के दौरान, एनबीएफसी के तुलन-पत्र के आस्ति और देयता पक्षों में संरचनात्मक बदलाव हुआ है। जैसा कि रिज़र्व बैंक के अनुसार एनबीएफसी को दिसंबर 2020 से चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा अपनाने की आवश्यकता थी, एनबीएफसी पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के उद्देश्य से अपने अल्पकालिक देनदारियों को धीरे-धीरे दीर्घावधि उधारों से परिवर्तित कर रहे हैं। इसी तरह, पहले की तरह कॉर्पोरेट क्षेत्र के अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करने के बदले खुदरा ऋणों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देने की ओर भी बदलाव बढ़ रहा है।

वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) आधारित उत्पाद वितरण एनबीएफसी परिदृश्य में होने वाला एक और महत्वपूर्ण विकास है। उत्पादों और सेवाओं के अभिनव फिनटेक आधारित वितरण को अपनाने में एनबीएफसी क्षेत्र सबसे आगे रहा है जो इन सेवाओं तक पहुंचने और प्राप्त करने की संकल्पना में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। फिनटेक के संचालन का दायरा भी व्यापक होकर भुगतान, बीमा, स्टॉक, बॉन्ड, पीयर टू पीयर उधार, रॉबो-परामर्श, नियामक प्रौद्योगिकी (रेग टेक) और पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुप टेक) तक पहुंच गया है। हालाँकि, डेटा गोपनीयता, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढाँचे की मजबूती और साइबर सुरक्षा ढांचे से संबंधित चिंताओं के साथ साथ कारोबार का संचालन मुद्दों का भी मूल्यांकन और समाधान करने की आवश्यकता है।

फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तदाताओं का दायरा बढ़ाने और सभी एनबीएफसी को फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करने और एमएसएमई के बीजक को डिस्काउंटिंग के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म पर भाग लेने की अनुमति देने के लिए धारा 3 में संशोधन करना चाहता है। इस बिल से उम्मीद है कि एनबीएफसी के लिए अतिरिक्त व्यापार के अवसर खुलेंगे और अधिक से अधिक संख्या में एनबीएफसी के साथ बैंकों और एनबीएफसी के बीच फैक्टरिंग के कारोबार में भागीदारी में बदलाव आ सकता है। आगे बढ़ते हुए, बाज़ार संचालित प्लेटफ़ॉर्म मॉडल में - ग्राहक आधार, वितरण पहुंच और विभिन्न परिस्थितिकी प्रणालियों के साथ सहयोग की अपनी क्षमता का दोहन करके- एनबीएफसी को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए अंडरराइटर होने के टेक-ऑफ बिंदु से शुरू कर के, एनबीएफसी अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं और वितरण आधारित वैकल्पिक कारोबार मॉडल की ओर बढ़ सकते हैं।

संक्षेप में, एनबीएफसी खंड ने एक नए कारोबार परिदृश्य में प्रवेश किया है, जिसमें इसे अपने टूलकिट में नए उत्पादों को जोड़ने और नये आविष्कार के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। एनबीएफसी की मुख्य ताकत में; ग्राहकआधार;, मजबूत वितरण और सेवा की पहुंच; उच्चतर जोखिम वृत्ति; लचीला कारोबार मॉडल; गैर-भौतिक उपस्थिति बिंदु; और तेजी से स्केल-अप और स्केल-डाउन करने की क्षमता शामिल है। एनबीएफसी नई प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली प्रक्रियाओं को अपनाने में भी तेज हैं। उपर्युक्त का लाभ उठाते हुए एनबीएफसी जैसे उत्पाद प्रदाता ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बहुतेरे उत्पादों और सेवाओं के साथ ग्राहक की सेवा के लिए बाज़ार संचालित प्लेटफ़ॉर्म में विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक उनके कारोबार परिचालन और संबंधित जोखिमों की बदलती संभावनाओं को ध्यान से देख रहा है और उनकी आघातसह्यता को बनाए रखने के लिए उचित उपाय कर रहा है।

**स्रोत:** भारिबैं

- चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण विकसित करना;
- एनबीएफसी द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवाओं की प्रभावशीलता की निगरानी; तथा
- चयनित एनबीएफसी के लिए आईटी परीक्षण की शुरुआत करना।

**सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय**

VI.81 एक एकीकृत डीओएस का परिचालन किया गया है जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी की देखरेख अब एक छत्र विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से की जा रही है। यह विनियामक/ पर्यवेक्षी मध्यस्थता, सूचना विषमता और अंतर-संबद्धता से संबंधित अंतर-संस्थागत मुद्दों को हल करेगा।

**2020-21 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति**

***2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.82 विभाग ने 2020-21 के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षणीय लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति के तत्वावधान में, पर्यवेक्षित संथाओं से रिज़र्व बैंक को डेटा प्रवाह को स्वचालित करने हेतु पर्यवेक्षित संथाओं के लिए एक अतिसक्रिय साइबर इम्युनिटी सर्विलांस फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा जिससे रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (रेबिट) और उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सिमुलेशन/मूल्यांकन अभ्यास, शीघ्र पर्यवेक्षण/ विनियामकीय हस्तक्षेप और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करने के अलावा, बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा अपेक्षाओं और आईटी प्रथाओं (अधिशासन और संबंधित) पर पर्यवेक्षित संथाओं के लिए पर मास्टर दिशा-निर्देश जारी किया जा सके। ( पैरा VI.83 - VI.85);
- एसईएस द्वारा धोखाधड़ी की पहचान करने में देरी के कारणों को पहचानने के लिए और धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें समय पर कम करने के उपायों का सुझाव देने हेतु चुनिंदा बैंकों, एनबीएफसी, यूसीबी और डोमेन विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों पर एक अध्ययन किया जाएगा । (पैरा VI.86);
- एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणाली (आईसीएमटीएस) का कार्यान्वयन [पैरा VI.86]; तथा
- रिज़र्व बैंक धोखाधड़ी की निगरानी करने और उसका पता लगाने में सुधार के लिए विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को जोड़ने में लगा हुआ है। एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और नई सुविधाओं के साथ संवर्धित एससीबी के सीएफआर पोर्टल को जनवरी 2021 (पैरा VI.86) से चालू किया जाएगा।

***लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति***

*साइबर सुरक्षा संबंधित प्रगति*

VI.83 विभाग ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान 53 पर्यवेक्षित संथाओं में आईटी परीक्षण (ऑन-साइट और ऑफ-साइट मोड) आयोजित की हैं। इसमें 44 एससीबी, चार प्राथमिक यूसीबी, दो पीबी, एक एनबीएफसी, एक सीआईसी और एक वित्तीय संस्थान (एफआई) शामिल हैं।

VI.84 साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति ने रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए सेक्टर-वार "सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी)" स्थापित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए एक उप-समूह बनाया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, आरई के एसओसी से लॉग / ईवेंट्स/ अलर्ट्स को आगे विश्लेषण के लिए लगातार प्राप्त करेगा। बाहरी एजेंसियों के माध्यम से वेब क्रॉलिंग/साइबर रिस्क अभ्यासों का चुनिन्दा आरई के साथ पायलट आधार पर किया गया था। वर्तमान में, इसे अन्य आरई तक पहुंचाने पर काम किया जा रहा है।

VI.85 विभाग विभिन्न रिटर्न, ऑफ-साइट प्रस्तुतीकरण और अनुपालन स्थिति के माध्यम से पर्यवेक्षित संस्था (एसई)से जोखिम संकेतक डेटा एकत्र करता है। एसई के प्रस्तुतीकरण के आधार पर, जो कमजोर पाए जाते हैं या जो अतिरिक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित किया जाता है।

*डाटाबेस और सूचना प्रणाली को मजबूत करना*

VI.86 वर्ष 2020-21 के दौरान इससे संबंधित पहल इस प्रकार थे:

- एसई द्वारा बड़ी धोखाधड़ी का पता लगाने में पाई गई देरी को ध्यान में रखते हुए, कारणों का पता लगाने और प्रणालियों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए चुनिंदा बैंकों, एनबीएफसी, यूसीबी और विशेषज्ञों के समूह द्वारा बड़ी धोखाधड़ी का अध्ययन करने की योजना बनाई गई थी। समूह ने 30 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- आईसीएमटीएस एक एंड-टू-एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन एप्लीकेशन है, जो एसई द्वारा अनुपालन को मजबूत करने और डीओएस और डीओआर जैसे विभिन्न विभागों द्वारा जारी समयबद्ध परिपत्रों/निर्देशों/परामर्श के अनुपालन की समय पर और सतत निगरानी में सहायता करेगा। इस एप्लीकेशन से एसई के निरीक्षण/संवीक्षा की योजना बनाने और बाद में इनबिल्ट सुविधा के साथ टिप्पणियों के अनुपालन की भी सुविधा होगी ताकि अनुस्मारक और अधिसूचनाओं के लिए अलर्ट जारी किया जा सके। आवेदन के विभिन्न मॉड्यूलों का चरणवार कार्यान्वयन प्रगति पर है।
- विभाग ने सभी वाणिज्यिक बैंकों (चुनिंदा एफआई सहित), यूसीबी और एनबीएफसी, के लिए एक एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रारूप का प्रस्ताव किया है, जो ऐसी सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी डेटा से संबंधित रिपोर्टों का समेकन करेगा तथा विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा देगा। इसे आगामी केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना के भाग के रूप में विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। इस बीच, एससीबी के वर्तमान सीएफआर पोर्टल में खोज प्रश्नों को अनुकूल और तेज करने के लिए कुछ संवर्द्धन किया है, जिन्हें 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है।
- एनबीएफसी के लिए ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परिवर्तन, सुरक्षा परीक्षण और प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं को जारी करने के बाद एनबीएफसी का ऑनलाइन प्रणाली में प्रस्तरण और बोर्डिंग प्रभावी होगा।
- रिज़र्व बैंक ने 2002 में वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) को अनिवार्य किया था। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए और सभी एसई, बड़े यूसीबी और एनबीएफसी में दिशा-निर्देशों के सामंजस्य के लिए, वर्ष के दौरान आरबीआईए नेट में लाया गया था।
- इसके अलावा, एसई में लेखा परीक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी एसई द्वारा एसए को समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से नियुक्त किया जाता है, विभाग ने वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/एसए की नियुक्ति के बारे में एक समान दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए लेखा परीक्षकों की संख्या, उनके पात्रता मानदंड, कार्यकाल और रोटेशन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

***प्रमुख नवोन्मेषी कार्य***

*समर्पित जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग*

VI.87 पर्यवेक्षण कार्यक्रम के एकीकरण की प्रक्रिया में एक समर्पित क्षैतिज जोखिम प्रकार्य, अर्थात, जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग (आरएसडी) बनाया गया था। आरएसडी वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने में दिशा में कार्य कर रहा है और जोखिम का पता लगाने में योगदान दे रहा है।

*जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना*

VI.88 वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को एकीकृत विभाग के व्यापक पर्यवेक्षी ढांचे के अनुरूप बनाया गया है। ऐसा वित्तीय स्थिरता और अन्य गैर-वित्तीय मानकों से संबंधित मामलों में इन संस्थाओं के आकार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, एक मापांकित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाया गया है। पर्यवेक्षी संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा पर्यवेक्षण की आनुपातिकता और आर्थिक दक्षता में सुधार करना, अधिक जोखिम-केंद्रित तरीके से महत्वपूर्ण संस्थानों की निगरानी को मजबूत करना और पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयुक्त समूह को तैनात करना इसके उद्देश्य हैं।

*ऑफ साइट पर्यवेक्षण*

VI.89 विभाग ने कमजोर एसई की पहचान प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने और पहचानी गई कमजोरियों पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की। इसको प्रमुखतः सक्रिय ऑफ-साइट पर्यवेक्षण तंत्र, अर्थात व्यापक - दबाव परीक्षणों; प्रारंभिक चेतावनी तंत्र; और बैंकों, एनबीएफसी, एसएफबी और यूसीबी के लिए त्रैमासिक सक्रिय ऑफ-साइट पर्यवेक्षण अभ्यास के माध्यम से असुरक्षित एसई की पहचान द्वारा किया गया। बैंकों के लिए व्यापक - दबाव परीक्षण अभ्यास एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और इसमें क्रेडिट जोखिम दबाव परीक्षण (वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले तीन पैनल डेटा अर्थमितीय मॉडल का उपयोग करके), चलनिधि जोखिम का आकलन करने के लिए उल्टा दबाव परीक्षण, विश्लेषण करने के लिए एक नया दबाव परीक्षण शामिल है। सिस्टम स्तर पर बड़े एक्सपोज़र, और ब्याज-दर जोखिम (आईआरआर) के लिए एक नई अवधि-आधारित दबाव परीक्षण जो ऋण बही के साथ-साथ व्यापार बही में दबाव को शामिल करता है। एनबीएफसी के लिए दबाव परीक्षण विश्लेषण उस सेक्टर में विभिन्न प्रकार के जोखिमों में आघातसह्यता का आकलन करने के लिए एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित है। ऋण जोखिम, ऋण संकेन्द्रण जोखिम, क्षेत्रवार ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम में झटके का आकलन किया जाता है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए अपनाई गई दबाव परीक्षण पद्धति एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित है। यह ढांचा, एलसीआर विधि पर आधारित चलनिधि दबाव परीक्षण के अलावा ऋण जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम, ब्याज दर जोखिम के आघातों के विरुद्ध सहनशीलता का आकलन करने के लिए मॉडल को कवर करता है जिसमें ऋण बही के साथ-साथ व्यापार बही में दबाव को भी शामिल किया जाता है।

VI.90 डेटा एनालिटिक्स, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, कमजोर उधारकर्ताओं की पहचान, दबाव परीक्षण, साइबर सुरक्षा मापदंडों पर भेद्यता और विभिन्न विषयगत विश्लेषण के माध्यम से टूल किट का उपयोग करके बैंकों, एनबीएफसी, एसएफबी और यूसीबी के लिए त्रैमासिक रूप से सक्रिय ऑफ-साइट भेद्यता मूल्यांकन की कार्रवाई की जाती है।

VI.91 चिंता के क्षेत्रों में सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान कई विषयगत अध्ययन किए गए।

VI.92 बैंकों, एनबीएफसी और यूसीबी के एकीकृत पर्यवेक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल होने से एमआई के विषय-क्षेत्र में विस्तार हुआ है और अनियंत्रित क्षेत्र में संस्थानों के शामिल होने से कार्य में आगे भी विस्तार होगा। एकीकृत डीओएस के अंतर्गत गठित समर्पित एमआई अनुभाग एक प्रभावी ऑफ साइट पर्यवेक्षण के टूल के रूप में कार्य करेगा। एसई पर उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ अनौपचारिक / असंगठित बैठकों का एक सिस्टम प्रारंभ किया गया है। एमआई यूनिट बैंकों, एसएफबी, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए तैयार की जा रही तिमाही मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुपूरक का कार्य करेगी।

VI.93 आंकडा आसूचना / कारोबार विश्लेषण और जोखिम मॉडलिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और मानकों को अपनाने के लिए विभाग के मार्गदर्शन हेतु विश्लेषण संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है ताकि समग्र विश्लेषणात्मक इनपुट की गुणवत्ता में सुधार और भविष्यसूचक और निर्देशात्मक विश्लेषण को सुदृढ और संवर्धित बनाया जा सकें।

*क्षमता निर्माण और कौशल विकास*

VI.94 विनियमित संस्थाओं (आरई) के पर्यवेक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उपाय के तौर पर रिज़र्व बैंक ने प्रारंभिक स्तर और अनवरत रूप से आगे भी अपने विनियामिक और पर्यवेक्षी दोनों तरह के स्टाफ के पर्यवेक्षी कौशल में संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक पर्यवेक्षक महाविद्यालय का गठन किया है । यह संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण और अन्य विभागीय जानकारी प्रदान करके एकीकृत और संकेद्रित पर्यवेक्षण विकसित करने के लिए किया गया है । जबकि मई 2020 से सीओएस वर्चुअल मोड में सीमित तरीके से कार्य कर रहा था, जनवरी 2021 से इसे पूर्णकालिक निदेश के साथ-साथ सहायता के लिए शैक्षणिक सलाहकार समिति (एएसी) सहित पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दिया गया है । पूर्णरूप से प्रारंभ सीओएस वर्चुअल और भौतिक दोनों मोड में कुशल संसाधनों के एक अनवरत पूल को विकसित और सुनिश्चित करके एसई की निगरानी की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा।

**वर्ष 2021-22 के लिए कार्य-योजना**

VI.95 विभाग वर्ष 2021-22 में सभी एसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है :

- वर्तमान में विवरणियों के लिए प्रचलित भिन्न-भिन्न फ्रेमवर्क की समीक्षा और समेकन द्वारा रिज़र्व बैंक के विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षी आंकड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना (उत्कर्ष) ;
- एसई के लिए साइबर सुरक्षा निगरानी प्रणाली का सुदृढीकरण (उत्कर्ष) ;
- एनबीएफसी के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री का कार्यान्वयन (उत्कर्ष) ;
- आईटी गवर्नेंस, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करना और
- एएसी के मार्गदर्शन के अंतर्गत सीओएस उन चिन्हित क्षेत्रों के आधार पर सभी कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम की योजना बनायेगा और विकसित करेगा जिसमें क्षमता निर्माण / कौशल संवर्धन की आवश्यकता है, कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों / सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के साथ बेंचमार्क करेगा और शिक्षण के उचित तरीके विकसित करेगा इत्यादि।

**प्रर्वतन विभाग (ईएफडी)**

VI.96 प्रवर्तन विभाग की स्थापना अप्रैल 2017 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जन-हित और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं से अधिक अनुपालन करवाने के लिए सभी बैंकों में विनियमों को समान रूप से प्रवर्तित करना था। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा अनुमोदित प्रवर्तन नीति और फ्रेमवर्क, प्रवर्तन करने में निष्पक्ष, सुसंगत और निष्पक्ष होने की आवश्यकता पर बल देता है। सहकारी बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित प्रवर्तन कार्यों को भी 03 अक्तूबर 2018 से विभाग के परिचालन के दायरे में लाया गया है।

**वर्ष 2020-21 के लिए कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति**

***वर्ष 202-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य***

VI.97 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- प्रभावी अनुपालन परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए उल्लंघन वाले क्षेत्रों में डीओएस के लिए एक औपचारिक फीडबैक प्रक्रिया शुरू की जाएगी (उत्कर्ष) । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी स्थापना के बाद से प्राप्त अनुभव के आधार पर विभाग उल्लंघनों और उनकी कार्य-प्रणाली के विश्लेषण करने का कार्य करेगा (पैरा VI 98);
- विनियामकीय और पर्यवेक्षी विभागों के पुनर्गठन को देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यविधि सहित प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया की समीक्षा की जायेगी ताकि प्रवर्तन कार्रवाई में निरंतरता सुनिश्चित की जा सकें (पैरा VI 99); और
- रिज़र्व बैंक द्वारा एचएफसी पर मौद्रिक जुर्माना लगाने से संबंधित प्रवर्तन कार्य को एनएचबी अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदत्त सीमा तक चरणबद्ध तरीके से ईएफडी के अंतर्गत लाया जायेगा।(पैरा VI 100)

***लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति***

VI.98 वर्ष के दौरान, कार्यालय में लगभग सामान्य कामकाज प्रारंभ होने के बाद, विभाग ने उन क्षेत्रों का विश्लेषण किया जो उल्लंघन के लिए अत्यधिक संवेदनशील थे और उनकी प्रणाली का भी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के निष्कर्ष को डीओएस के साथ सांझा किया गया है। प्रभावी अनुपालन परीक्षण को सुविधाजनक बनाने हेतु फीडबैक को साझा करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था भी बनाई गई है।

VI.99 प्रवर्तन कार्रवाई में निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने कार्य प्रक्रियाओं की समीक्षा और प्रवर्तन कार्य करने में उनके समक्ष आई बाधाओं और चुनौतियों को समझने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एक ऑनलाइन परिचर्चा आयोजित की। संबंधित विषयों पर आवश्यक स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन प्रक्रियाओं के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए ताकि प्रवर्तन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित की जा सकें।

VI.100 एचएफसी के संबंध में, जबकि प्रवर्तन कार्रवाई मौजूदा नीति में आवश्यक परिवर्तन करके की गई थी वहीं ऐसे संस्थानों के लिए रिज़र्व बैंक के विनियामकीय फ्रेमवर्क पूरी तरह तैयार होने और लागू होने के बाद एक विनिर्दिष्ट नीति को एक अनुशेष के रूप में तैयार करने पर विचार किया गया था। डीओआर ने विनियमों की समीक्षा की है और 22 अक्तूबर 2020 को एचएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क जारी कर दिए है और तत्पश्चात 17 फरवरी 2021 को एचएफसी पर एक मास्टर परिपत्र भी जारी किया। एनएचबी अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की भूमिका के संबंध में पता चली स्पष्टता और चूंकि एचएफसी के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और मौजूदा प्रवर्तन नीति ने पहले लागू किए जाने वाले सिद्धान्तों और मैट्रिक्स के विषय में बता दिया इसलिए मौजूदा नीति के किसी अनुशेष की तत्काल आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया। विभाग द्वारा एचएफसी के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई मौजूदा नीति के अनुसार ही की जायेगी।

***अन्य नवोन्मेषी कार्य***

VI.101 जुलाई 2020-मार्च 2021 के दौरान ने 54 विनियमित संस्थाओं के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी कुछ दिशा-निर्देशों के उल्लंघन / प्रावधानों का अनुपालन[1] नहीं करने के लिए कुल ₹ 19.41 करोड़ का समेकित दंड भी लगाया गया। (सारणी VI.4).

**वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची**

VI.102 आगामी वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता हैं :

- ईएफडी कारोबार प्रक्रिया एप्लीकेशन और प्रवर्तन कार्रवाइयों के डेटाबेस का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष)*;
- प्रवर्तन नीति और मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) की समीक्षा; और क्रेडिट सूचना कंपनियों (गैर-बैंक और गैर-एनबीएफसी) के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने की जांच करना

**सारणी VI.4: प्रवर्तन कार्रवाई**
**(जुलाई 2020 से मार्च 2021)**

| विनियमित संस्था | जुर्मानों की संख्या | कुल जुर्माना (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 3 | 4.50 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 2 | 4.72 |
| सहकारी बैंक | 39 | 2.14 |
| विदेशी बैंक | 2 | 4.00 |
| भुगतान बैंक | 1 | 1.00 |
| लघु वित्त बैंक | - | - |
| एनबीएफसी | 7 | 3.05 |
| **कुल** | **54** | **19.41** |

-: शून्य।
**स्रोत:** भा.रि.बैंक।

[1] उदाहरण के लिए, इनमें से कुछ में बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड / बीमा उत्पादों की मार्केटिंग / वितरण ; एक्पोजर मानक और आईआरएसी मानक ; भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी का वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग) दिशा-निर्देश, 2016 ; एनबीएफसी के लिए लागू उचित प्रथा संहिता पर एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी दिशा-निर्देश ; और बोर्ड निदेशक-यूसीबी पर मास्टर निदेश शामिल है।

- मौजूदा प्रथाओं और प्रवर्तन कार्रवाइयों में समय-सीमा को प्रभावित करने वाली बाधाओं का पता लगाने की प्रक्रिया (कारोबारी) की समीक्षा करना और निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डीओएस और डीओआर के बीच समन्वय में सुधार करना;
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्णयों में निरंतरता में सुधार पर केंद्रित प्रशिक्षण और वार्तालाप में वृद्धि करना और ईएफडी, आरओ सहित केंद्रीय कार्यालय के साथ सूचनाओं को सांझा करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करना ; और
- नाबार्ड के साथ समन्वय में सुधार करना और एचएफसी के विरूद्ध संभावित प्रवर्तन कार्रवाई को सहज बनाने के लिए एनएचबी के साथ समन्वय प्रणाली बनाना।

### 5. उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण

### उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.103 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आरई के ग्राहकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करता है, रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं के कामकाज की निगरानी करता है और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा एवं संरक्षण संबंधी मौजूदा विनियमों और ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए उपायों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करता है।

### वर्ष 2020-21 के लिए कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

#### *वर्ष 2021-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य*

VI.104 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे :

- जनता के लिए वित्तीय शिक्षा और जागरूकता को मजबूत करना (*उत्कर्ष*) [पैरा VI.105];
- चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आतंरिक लोकपाल (आईओ) योजना को लागू करना (*उत्कर्ष*)[पैरा VI.106];
- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण (सीईपी) की भूमिका सहित लोकपाल योजनाओं के समाभिरूपता संबंधी आंतरिक समिति की सिफारिशों की कार्यान्वयन की दृष्टि से जांच करना (*उत्कर्ष)* [पैरा VI.107];
- रिज़र्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग करना (पैरा VI.108); और
- बैंकों को अपनी सीएमएस में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निरूत्साहित/ प्रोत्साहित करने वाला एक फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा VI.109).

#### *लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*जनता के लिए वित्तीय शिक्षा और जागरूकता को मजबूत करना*

VI.105 सीईपीडी ने संचार विभाग (डीओसी) के साथ समन्वय से रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग (जिसमें फिशिंग/विशिंग, संदिग्ध लिंक/ ईमेल/ क्यूआर कोड और एसएमएस स्पूफिंग) और धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेनदेनों में ग्राहकों की सीमित देयता संबंधी विनियमों पर मल्टी मीडिया प्रचार-प्रसार की एक श्रृंखला के माध्यम से वृहद जागरूकता अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और सीएमएस के वेबपेज पर सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के विषय पर टिकर्स / स्क्रॉल्स के माध्यम से संदेशों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपालों ने जनता के बीच कुल 154 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, महामारी संबंधी प्रतिबंध देखते हुए इनमें से अधिकतर कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से संचालित किए गए। इनमें से 34 जागरूकता कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित किए गए। इसके अलावा, ग्राहक संरक्षण की दृष्टि से शिक्षा के लिए एक

**बॉक्स VI.5**
**ग्राहक संरक्षण की दृष्टि से शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क**

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन- वित्तीय शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (ओईसीडी-आईएनएफई) के वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति पर आधारित एचएलपी ; और विद्यालयों में वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी-आईएनएफई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय ग्राहक संरक्षण पर जी-20 उच्च स्तरीय सिद्धान्तों (एचएलपी) (सिद्धान्त 5 : वित्तीय शिक्षण और जागरूकता[2]) के मार्गदर्शन के आधार पर ग्राहक संरक्षण पर विशेष फोकस के साथ वित्तीय शिक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।

यह फ्रेमवर्क विनियमित संस्थाओं (आरई) ग्राहकों के सशक्तिकरण के लिए एक कार्यनीति निर्धारित करता है जिसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है, नामतः (i) लक्षित समूहों को उनकी संवेदनशीलता और सूचना की कमी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है; (ii) ग्राहक संरक्षण पर वित्तीय शिक्षा को लक्षित समूहों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सके; (iii) अभीष्ट व्यक्तियों तक अधिकतम पहुंच के साथ बहु-आयामी डिलीवरी चैनल; (iv) ग्राहक संरक्षण की दृष्टि से वित्तीय जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संस्थानों / विभागों / स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय स्थापित करना ; और (vi) उठाए गए कदमों की प्रभावकारिता का पूर्वानुमान लगाने, सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान और यह निर्धारित करना कि फ्रेमवर्क किस स्तर तक अपने उद्देश्य प्राप्त किए, पर एक मल्टी मोड मैपिंग की गई है।

**स्रोत:** आरबीआई

फ्रेमवर्क को विभिन्न लक्षित समूहों से संबंधित ग्राहक संरक्षण विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए विकसित किया गया है। (बॉक्स VI.5).

*चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईओ योजना का कार्यान्वयन*

VI.106 किसी संस्था की आतंरिक शिकायत निवारण प्रणाली के शीर्ष पर आईओ, पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों के मामले में संस्था द्वारा प्रदान किए समाधान की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करता है। आईओ योजना बैंकों (2018) और प्रणाली के गैर-बैंक प्रतिभागियों (2019) में पहले ही चल रही है। आईओ योजना को एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना (ओएसएनबीएफसी) के अंतर्गत शामिल सभी एनबीएफसी में आईओ योजना लागू करने के प्रस्ताव की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकला कि एनबीएफसी के आकार और कारोबार में विविधता और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त शिकायतों को देखते हुए आईओ योजना चिह्नित सीमा के आधार पर भी एनबीएफसी के लिए लागू होनी चाहिए। एनबीएफसी के लिए प्रस्तावित आईओ योजना से इसमें शामिल एनबीएफसी की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार होगा।

*उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण (सीईपी) की भूमिका सहित लोकपाल योजनाओं सम्मिलन संबंधी आंतरिक समिति की सिफारिशों की कार्यान्वयन के लिए जांच करना*

VI.107 वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई बैंकिंग लोकपाल योजना ने रिज़र्व बैंक को बैंकों के विरूद्ध प्राप्त होने वाली उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिए एक प्रमुख वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में कार्य किया है। तदुपरांत, वर्ष 2018 और 2019 में क्रमशः एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना की शुरूआत की गई। तीनों लोकपाल योजनाएं सीईपीडी द्वारा अभिशासित है। लोकपाल फ्रेमवर्क की समीक्षा और इसकी प्रभावकारिता में सुधार के लिए उठाएं जाने वाले कदमों के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित आंतरिक समिति ने मई 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने व्यापक सिफारिशें की है जिसमें : (i) तीनों लोकपाल योजनाओं के सम्मिलन से एक समेकित "भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल योजना" बनाना ; (ii) शिकायत निपटान के लिए सिंगल विंडो प्रदान करने हेतु मौजूद योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में शामिल नहीं किए गए सभी आरई को इस योजना में लाने के लिए इसके विषय-क्षेत्र का विस्तार करना; (iii)

[2] सिद्धान्त 5 कहता है कि वित्तीय शिक्षा और जागरूकता का सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए और ग्राहक संरक्षण, अधिकार और उत्तदायित्वों पर स्पष्ट सूचना सभी ग्राहकों की आसान पहुंच में होनी चाहिए।

'नकारात्मक सूची' में शामिल शिकायतों के अतिरिक्त सभी शिकायतों को कवर करना; (iv) लोकपाल फ्रेमवर्क के अंदर सीईपी को मिलाना ; (v) 'एक राष्ट्र- एक अधिकार-क्षेत्र' की अवधारणा के अंतर्गत शिकायतों की प्राप्ति के लिए केंद्रीयकृत प्राप्ति और संसाधन केंद्र (सीआरपीसी) की स्थापना करना ; (vi) शिकायतों के निवारण के लिए निपटान समय (टीएटी) में कमी लाना; और (vii) एक उप लोकपाल की नियुक्ति द्वारा प्रत्यायोजन की शुरूआत करना, शामिल है। निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है :

ए. तीनों लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; एनबीएफसी के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना,2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना,2019) के सम्मिलन से एक एकीकृत लोकपाल योजना बनाना ;

बी. केंद्रीयकृत प्राप्ति और संसाधन केंद्र (सीआरपीसी) की स्थापना करना और 'एक राष्ट्र – एक लोकपाल' दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होना ;

सी. वर्तमान में लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हुए आरई को चरणबद्ध तरीक से शामिल करना;

डी. शिकायतों के आधार की अवधारणा को समाप्त करना, 'ग्राहक सेवा में कमी' की परिभाषा को शामिल करना और शिकायतों को अस्वीकार करने के लिए एक विस्तृत 'नकारात्मक' और 'अपवर्जन' सूची शामिल करना ;

इ. शिकायतों को बंद करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

एफ. कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत सिफारिशों को शामिल करने हेतु सीएमएस को अद्यतन करना।

*रिज़र्व बैंक के सीएमएस की प्रभावकारिता बढाने के लिए एआई का प्रयोग करना*

VI.108 रिज़र्व बैंक की शिकायत निपटान प्रणाली के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं के प्रभावी समाधान और सीएमसी की दक्षता में सुधार के लिए वर्ष के दौरान सीएमएस में कृत्रिम बौद्धिकता को शामिल करने का कार्य प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में एआई सीएमएस को शिकायत दर्ज होने पर गैर बनाए रखने योग्य शिकायतों को छांटने में सक्षम बनायेगी। इसके बाद, एआई शिकायत निपटान के एक टूल के रूप कार्य करने के अलावा आंकड़ों के विश्लेषण और शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण (आरसीए) करने में भी सहायता प्रदान करेगी।

*बैंकों को उनकी शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक निरूत्साहन सह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करना*

VI.109 बैंकों की आतंरिक शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ बनाने और उसमें सुधार करने, और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ उपायों के साथ एक व्यापक फ्रेमवर्क लागू किया गया है। उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों और रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता शिकायतों का संवर्धित डिसक्लोजर; बनाए रखने योग्य शिकायतें अपने समान-समूह की औसत से अधिक होने पर शिकायतों के निपटान की लागत बैंकों से वसूल करना; शिकायत निपटान प्रणाली की गहन समीक्षा ; और उन बैंकों के विरूद्ध पर्यवेक्षी / विनियामकीय कार्रवाई करना जो समयबद्ध तरीके से अपनी शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार करने में असफल रहते हैं।

***प्रमुख गतिविधियां***

*महामारी के दौरान शिकायत निपटान*

VI.110 लोकपाल और सीईपी कक्ष महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद सीएमएस की 24X7 उपलब्धता और शिकायत निपटान प्रणाली के शुरू से अंत तक डिजिटल होने की लाभप्रद स्थिति के कारण अबाधित और सक्षम रूप से कार्य करते रहे।

*शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों का आरसीए करना*

VI.111 जून 2020 को समाप्त अवधि के लिए लोकपाल कार्यालयों, सीईपी कक्षों और बैंकों द्वारा संचालित शिकायतों के मुख्य क्षेत्रों का आरसीए किया गया और निष्कर्षों को समेकित

कर उनका विश्लेषण किया गया। अनुवर्ती कार्रवाइयों में बैंकों को यह सूचित किया जाना शामिल है, (क) लेनदेन पद्धति विश्लेषण और प्रभावी आवर्ती जांचों के माध्यम से डिजिटल लेनदनों की सुरक्षा में सुधार करें; (ख) क्रेडिट कार्ड जारी करने में योग्यता सुनिश्चित करें और स्वतंत्र रूप से इसमें शामिल क्रेडिट जोखिम का आकलन करें विशेष रुप से विद्यार्थियों और बिना स्वतंत्र वित्तीय संसाधन वालों के मामले में; (ग) मौजूदा अनुदेशों में विनिर्दिष्ट केवाईसी मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण को बढाना; (घ) वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग उपभोक्ताओं के साथ अनाधिकृत इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग लेनदेनों के मामलों में ग्राहक की देयताओं को सीमित करने संबंधी विनियमों को भी क्रियान्वित करना; और; (ङ) जागरूकता फैलाने के प्रयासों को मजबूत बनाना।

**वर्ष 2021-22 को लिए कार्यसूची**

VI.112 विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए है :

- बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत कवर न होने वाली शिकायतों के संचालन के लिए एक नीति / योजना बनाना ;
- शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को शामिल करवाने के लिए प्रयास करना ; और
- आईओ योजना का एनबीएफसी, वित्तीय रूप से सक्षम और अच्छी प्रकार से संचालित यूसीबी और आरआरबी तक विस्तार करना।

**निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)**

VI.113 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में, विशेष रूप से छोटे जमकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निक्षेप बीमा प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इससे वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली निक्षेप बीमा में एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल है।

VI.114 पंजीकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 2021 तक 2058 थी जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक (43 आरआरबी, 2 एलएबी, 6 पीबी और 10 एसएफबी सहित) और 1,919 सहकारी बैंक (34 राज्य सहकारी बैंक, 347 डीसीसीबी और 1538 यूसीबी) शामिल थे। जहां भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹5 लाख है, वहीं मार्च 2021 के अंत तक की स्थिति के अनुसार पूरी तरह संरक्षित खातों की संख्या (247.8 करोड़) 80 प्रतिशत के अंतरर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले कुल खातों (252.6 करोड़) का 98.1 प्रतिशत है। राशि के मामले में, मार्च 2021 के अंत तक की स्थिति के अनुसार कुल बीमाकृत जमाराशि ₹76,21,258 करोड़ है जो कुल निर्धारणीय जमाराशि ₹ 1,49,67,776 करोड़ का 50.9 प्रतिशत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 20 से 30 प्रतिशत है। मौजूदा स्तर पर, वर्ष 2020-21 के लिए बीमा कवर प्रति व्यक्ति आय के 4.0 स्तर पर है।

VI.115 डीआईसीजीसी बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवशों से प्राप्त ब्याज रूपी आय और विफल बैंकों की आस्तियों से नकदी की वसूली में जमाकर्ताओं के दावों और संबंधित व्ययों के भुगतान, निवल करों को समायोजित करके अपनी निक्षेप बीमा निधि निर्मित करता है। यह निधि परिसमापन / समामेलन के लिए गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध होता है। अलेखापरीक्षित आंकडों के अनुसार 31 मार्च 2021 को डीआईएफ का आकार ₹ 1,29,936 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित अनुपात 1.70 प्रतिशत था।

VI.116 वर्ष 2020-21 के दौरान पांच सहकारी बैंकों और एक एलएबी का परिसमापन किया गया। अलेखापरीक्षित आंकडों के अनुसार निगम ने वर्तमान में महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए परिनिर्धारित बैंकों के बीमाकृत जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कुल ₹993 करोड़ के दावों का निपटान किया। ₹993 करोड़ में से निगम ने वर्ष 2020 के दौरान नौ सहकारी बैंकों के संबंध में ₹ 564 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया। अप्रैल 2021 में एक सहकारी बैंक के मामले में ₹ 330 करोड़ की राशि का निपटान किया गया है। तथापि, वर्ष

के दौरान निगम से दावों के निपटान के लिए निधि का निवल परिव्यय कमतर रहा क्योंकि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹568 करोड़ की वसूली भी की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान एक निजी क्षेत्र के बैंक और विदेश बैंक का समामेलन भी हुआ था।

VI.117 निक्षेप बीमा संपूर्ण विश्व में वित्तीय सुरक्षा प्रणाली का एक अभिन्न भाग है। वित्तीय स्थिरता पर निक्षेप बीमा के सकारात्मक प्रभाव और हाल ही में निक्षेप बीमा के मूल्य से जुड़े नैतिक जोखिम का महत्व बढा है (बॉक्स VI.6) । बैंकों द्वारा वित्तीय मध्यवर्ती के रूप कार्य से उत्पन्न जोखिम का समाधान विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से किया जाता है, केंद्रीय बैंक की आपातकालीन चलनिधि और निक्षेप बीमा प्रथम मूलतत्व है अर्थात् विनियमन और पर्यवेक्षण वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए प्रथम सोपान की सुरक्षा और केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को आपातकालीन चलनिधि तात्कालिक/ परिवर्ती स्तंभ के रूप में और निक्षेप बीमा बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने की भूमिका अदा करता है।

**बॉक्स VI.6**

**निक्षेप बीमा मूल्य निर्धारण - जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) के माध्यम से नैतिक जोखिम को कम करना**

निक्षेप बीमा के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए, डीआईसीजीसी सदस्य वित्तीय संस्थानों से समान दर या संबंधित बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर एक अंतरीय दर से प्रीमियम एकत्रित करता है। हालांकि, समान दर प्रीमियम को तुलनात्मक रूप से समझना और अभिशासित करना आसान है परन्तु वे निक्षेप बीमा प्रणाली में किसी बैंक के जोखिम के स्तर को गणना में शामिल नहीं करते और इसे अनुचित माना जाता है क्योंकि सभी बैंकों से उनके जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखे बिना समान दर से प्रीमियम लिया जाता है (निक्षेप बीमाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन (आईएडीआई), 2011] अंतरीय प्रीमियम प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों को अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और प्रीमियम आकलन प्रक्रिया में और अधिक निष्पक्षता लाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई देश आरबीपी को अपना रहे हैं, फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) इस प्रथा को सबसे पहले अपनाने वालों में से एक है (1993)। आईएडीआई द्वारा वर्ष 2020 में किए गए वार्षिक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 60 डीआईएस समान दर प्रीमियम का प्रयोग करते है, 41 डीआईएस आरबीपी का प्रयोग कर रहे हैं वहीं 9 डीआईएस दोनों प्रणालियों के संयोजन को उपयोग में ला रहे हैं।

निक्षेप बीमा के मूल्य निर्धारण पर उपलब्ध साहित्यिक सामग्री आरबीपी निर्धारित करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण को चिह्नित करती है नामतः विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल, अपेक्षित हानि आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल, बकेटिंग एप्रोच; और निक्षेप बीमा निधि आकार अनुमान। बैंक जोखिम का आकलन और निक्षेप बीमा प्रीमियम निर्धारित करने के लिए कई देशों में विनियामक कैमल (पूंजी, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय और चलनिधि) संकेतकों (आईएडीआई, 2020) के साथ-साथ गुणवत्तात्मक संकेतकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एफडीआईसी के मामले में एक बीमाकृत संस्थान आकलन दर मुख्यतः जोखिम के दो उपायों – पूंजी स्तर और पर्यवेक्षी रेटिंग पर आधारित है। पूंजी उपाय में संस्थानों को तीन पूंजी समूहों में विभाजित किया जाता है : भलीभांति पूंजीकृत, पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और पर्याप्त से कम रूप से पूंजीकृत (गारनेट एवं अन्य, 2020)

भारत में, बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी नरसिम्हन समिति (1998) और भारत में निक्षेप बीमा में सुधार संबंधी कपूर समिति (आरबीआई, 1999) सहित कई समितियों ने आरबीपी की सिफारिश की है। डीआईसीजीसी द्वारा गठित क्रेडिट जोखिम मॉडल (2006) समिति और अंतरीय प्रीमियम प्रणाली संबंधी समिति (2015) ने भी आरबीपी की सिफारिश की थी परन्तु इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि यह निक्षेप बीमा कवर को बढाने से संबद्ध था। 04 फरवरी 2020 से निक्षेप बीमा की सीमा को ₹1 लाख की पूर्व सीमा से बढाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। बैंकों के विफल होने की स्थिति में कवर में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2020 से प्रीमियम की दर को भी पूर्व के 10 पैसे से बढाकर प्रति ₹100 जमा पर 12 पैसे कर दिया गया है। समान दर प्रीमियम में निहित नैतिक जोखिम के समाधान के लिए आरबीपी लागू करना एक स्वाभाविक परिणाम है। आरबीपी पर आंतरिक समिति (अध्यक्ष : श्री वी जी वेंकट चलपथि) ने मुख्यतः कैमल मानकों के आधार पर बैंकों के जोखिम का आकलन किया और आरबीपी लागू करने की सिफारिश की। आंतरिक समिति की सिफारिशें उनके कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन है।

**संदर्भ:**


1. गारनेट, ई., हेनरी एल. वी., हूपले, डी एवं महालिक ए (2020),' एफडीआईसी में जोखिम आधारित प्रीमियम का इतिहास, एफडीआईसी अध्ययन जनवरी
2. आईएडीआई (2011), 'अंतरीय प्रीमियम प्रणाली विकसित करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश', अक्तूबर
3. आईएडीआई (2020), 'निक्षेप बीमा के लिए अंतरीय प्रीमियम प्रणाली का मूल्यांकन', अगस्त

## 6. निष्कर्ष

VI.118 संक्षेप में कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय प्रणाली में आए व्यवधान से निपटने के लिए मौजूदा नियमों को विस्तार देने के अलावा अतिरिक्त विनियामकीय उपाय भी अपनाएं गए है। कॉरपोरेट और लघु कारोबार वर्ग के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। वैश्विक सर्वोतम प्रथाओं के अनुसार एससीबी, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के विनियमन और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क को सुदृढ बनाने और नीति के मुनाफे को न्यूनतम करने के लिए एकसमान प्रवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से भी कई उपाय किए गए हैं। प्रभावी ग्राहक सेवाओं और सक्षम धोखाधड़ी संसूचना के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी उपायों को भी लागू किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा एनबीएफसी में आंतरिक लोकपाल योजना लागू करने, लोकपाल योजनाओं की प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए 'एक राष्ट्र – एक लोकपाल' की अवधारणा की ओर अग्रसर होने और शिकायत निवारण प्रणाली को आगे बढाने हेतु विस्तृत फ्रेमवर्क बनाने के कार्य किए गए। इस प्रकार, कई छोटे और बड़े कदमों से विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित रहा और इससे प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।